कानून के प्रकाश में झुलसता बचपन

भोपाल की बस्तियों में अपराध रोकने के नाम पर
बच्चों के साथ हो रहे पुलिस व्यवहार

स्वतंत्र जाँच दल की रपट
दिसंबर 2015

विषय सूची

पृष्ठभूमि

23, 24 और 25 जुलाई 2015 को एक जाँच दल ने पुलिस के हाथों बच्चों के उत्पीड़न की जाँच–पड़ताल के लिए भोपाल की कुछ बस्तियों का दौरा किया। इसमें शामिल थे – आशा मिश्र (कार्यकर्ता, भारत ज्ञान विज्ञान समिति एवं पूर्व राज्य प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा और बाल अधिकार आयोग, भोपाल), डॉ. भारती शर्मा (भूतपूर्व अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, दिल्ली), कल्पना मेहता (नारीवादी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन्दौर), खुशबू जैन (सामाजिक शोधकर्ता, दिल्ली), माहरुख आदेनवाला (एडवोकेट, मुम्बई) और प्रशान्त दुबे (सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि, चाइल्ड राइट्स एलायंस, भोपाल)।

स्थानीय प्रेस और कार्यकर्ताओं के ज़रिए ऐसी घटनाओं के बारे में आने वाली खबरों के कारण पुलिस प्रताड़ना की छानबीन की ज़रूरत महसूस की गई। स्थानीय प्रेस में वर्ष 2008 में ऐसी एक घटना के बारे में बड़े पैमाने पर छपा था जिसमें बार–बार की पुलिस प्रताड़ना के कारण एक 16 वर्षीय पारधी बच्ची ने खुदकुशी कर ली थी। 3 महीने पहले ही (मार्च 2015 में) म.प्र. के कटनी ज़िले में पुलिस थाने में दो बच्चों की पिटाई[1] के सबूतों से म. प्र. पुलिस की अमानवीयता एक बार फिर सामने आई थी। तब ऐसी खबरें भी छपी थीं कि कई घटनाओं को सबूत और साक्ष्यों की कमी के कारण पर्याप्त तवज्जोह नहीं मिल पाती है।

जाँच दल बच्चों के साथ काम करने वाली संस्था – मुस्कान, और विशेष रूप से महिलाओं के मानव अधिकारों के हनन के मुद्दों पर काम करने वाली स्वायत्त महिला समूह – म.प्र. महिला मंच के आमंत्रण पर भोपाल के विभिन्न इलाकों में रहने वाले पारधी व अन्य हाशिए पर धकेले गए समुदायों के बच्चों के प्रति पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रताड़ना की

---

[1] अधिक जानकारी के लिए विडियो देखें – http://www.timesnow.tv/videoshow/4476443.cms और http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-069-2015/?searchterm

खोजबीन करने इकट्ठा हुई थी। जाँच दल ने खोजबीन के दायरे को अपनी तरफ से बढ़ाया है क्योंकि इन बच्चों के परिवारों और बस्ती के अन्य वयस्कों ने भी नियमित तौर पर पुलिस प्रताड़ना का और अन्य अमानवीय व्यवहार का सामना किया है। किसी बच्चे का अध्ययन उसके आसपास के माहौल और संदर्भ से काटकर नहीं किया जा सकता। एक बच्चे के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि राज्य सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसे किसी भी बच्चे के परिवार की स्थिति और जीवन–स्तर में सुधार आए क्योंकि बच्चा वही है जो उसका परिवार है। इसके लिए उसकी प्रताड़ना नहीं की जा सकती।

जाँच दल सात अलग–अलग बस्तियों में गया – अमन कॉलोनी, बंजारी बस्ती, एहसान नगर, गाँधी नगर, गंगा नगर, एम.पी. नगर और राजीव नगर। दल ने बच्चों से और वहाँ रहने वाले औरतों व मर्दों से भी बात की। जाँच दल ने सम्बन्धित अधिकारियों, जैसे पुलिस, और बाल सुरक्षा व्यवस्था के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।

यहाँ यह दर्ज करना ज़रूरी होगा कि बच्चों समेत ये बाशिन्दे इन घटनाओं की सटीक तारीखें और उम्र आदि नहीं बता पाए। इसलिए, हालाँकि बयान की गई घटनाओं ने बताने वालों के मन में इतना गहरा असर छोड़ा था कि उनमें कोई अस्पष्टता नहीं थी, इस जाँच रपट में आने वाली तारीखें और उम्र आदि अनुमानित हैं, सटीक नहीं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाँच दल से बात करने वालों पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई बदले की कार्रवाई न हो, बयान देने वालों के नाम इस रपट में नहीं दिए गए हैं। जाँच दल को इस बात की चिन्ता है कि रपट में दी गई अन्य जानकारी और घटनाओं की परिस्थितियों आदि से बयान देने वालों की पहचान हो सकती है। पर हमें यह भी उम्मीद है कि पुलिस और व्यवस्था के सताए बस्तियों के इन लोगों के लिए भोपाल के अन्य रहवासियों का समर्थन जुटाने में यह रपट मदद करेगी।

* * *

बस्तियों में लोगों से मुलाकातें

जाँच दल ने अपने आपको दो समूहों में विभाजित कर बस्तियों में जाकर लोगों से मुलाकातें कीं तथा 100 से ज़्यादा बच्चों और युवा महिलाओं के साथ बात की। क्योंकि सभी बयानों को इस रपट में विस्तार से नहीं दिया जा सकता है इसलिए जाँच दल ने हर बस्ती से कुछ कथनों को यहाँ प्रस्तुत किया है जिसमें अनुभव, उम्र, आदि विशेषताओं और हर केस के कुछ ख़ास विवरणों को ध्यान में रखा गया है।

अमन कॉलोनी

पृष्ठभूमि

जाँच दल ने अमन कॉलोनी तथा आवास विकास में जाकर बातचीत की। यह दोनों बस्तियाँ एक दूसरे के बगल में हैं तथा निशातपुरा पुलिस स्टेशन के न्यायक्षेत्र में आती हैं।

अमन कॉलोनी को जाने वाली सड़क कच्ची है। क्योंकि जाँच दल ने मूसलाधार बारिश के बाद बस्ती विज़िट की इस कारण सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। अमन कॉलोनी में लगभग 55 घर हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग ईरानी समुदाय के हैं। यहाँ के आवासी 5 साल पहले भानपुर से स्थानांतरित हुए थे; भानपुर में 25 सालों से रह रहे थे। भानपुर के आवास रेललाइन और मुख्य सड़क के बीच में स्थित था। इस कारण इन लोगों को बहुत बार दुर्घटनाओं को झेलना पड़ता था। वहाँ के लोगों का अपने घरों को बेच कर अमन कॉलोनी में बसने का सबसे मुख्य कारण यही बताया गया।

इन लोगों को भानपुर में राशन कार्ड मिले हुए थे। उनका नाम मतदाता सूची में भी डाला गया था और साथ ही उन्हें मतदान पहचान पत्र भी मिल गए थे। उनके पास आधार कार्ड भी हैं। अमन कॉलोनी में पानी का कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ के रहवासियों को पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है। वे हर टैंकर के लिए 300 रुपए चुकाते हैं। ज़्यादातर घरों मे बिजली के मीटर लगे हुए हैं और शौचालय भी हैं।

वहाँ के लोग छोटे–छोटे व्यवसायों से अपनी आजीविका चलाते हैं जैसे, चश्मे बेचना, अर्ध–कीमती पत्थर बेचना, और ज़मीन के ब्रोकर का काम करना। वहाँ पर एक शासकीय सरकारी स्कूल है, बारहवीं कक्षा तक का। उसके आस–पास के इलाके में 3–4 निजी विद्यालय भी हैं। ''भोपाल मेमोरियल अस्पताल'' बहुत ही नज़दीक है।

वहाँ के रहवासियों ने अपनी मुश्किलें रखीं कि पुलिस के लोग आधी रात को नशे की हालत में

कॉलोनी में आते हैं और लोगों से पैसे माँगते हैं। एक समय पर दस से पन्द्रह पुलिस वाले वैन से आते हैं जिसमें 2 स्टार पुलिस सब इंस्पेक्टर, 1 स्टार (सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर) शामिल होते हैं। पुलिसवाले बग़ैर किसी कारण के लोगों को गाली देने लगते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख़्शते, बहुत बार उठा भी ले जाते हैं। इस प्रकार लोगों को उठाए जाने के ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज़ नहीं होता। पुलिस उनसे पैसे लेती है और उसके बाद उनको छोड़ती है। पुलिस उनको धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की तो उनके ख़िलाफ नशीली पदार्थ रखने के झूठे केस बना दिए जाएँगे। यह प्रक्रिया रमज़ान के महीने में बंद हो गई थी लेकिन फिर से शुरू हो गई है।

पहले वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हुआ करते थे जो अमूमन सभी इलाकों में हुआ करते हैं। लेकिन पुलिस ने सभी लोगों को निशाने पर ले लिया है। यहाँ के रहवासियों ने उन असामाजिक तत्वों को बाहर भगा दिया है लेकिन पुलिस अब भी बेकसूर लोगों का प्रताड़ित करती रहती है।

ईरानी समुदाय के लोगों के घर, दूसरे लोगों से विवाद के चलते, 11 दिसंबर 2014 को पुलिस के सामने ही जला दिये गये थे। मगर पुलिस ने आगज़नी को रोकने की कोशिश नहीं की। उनको सरकार से इस नुकसान के एवज़ में कोई मुआवज़ा नहीं प्राप्त हुआ।

वहाँ के रहवासियों ने जाँच दल को बताया कि 20 दिन पहले पुलिस ने एक 60 साल के बुज़ुर्ग को उठा लिया था और पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिसवालों ने उससे कहा कि वे उसको तभी छोड़ेंगे जब उसके बच्चे पुलिस स्टेशन आएँगे; पुलिस को 4000 रुपए देने के बाद ही छोड़ा गया।

लोगों की आपबीती

ए (उम्र 17 साल) ने बताया कि करीबन एक वर्ष पहले एम.पी. नगर अपराध शाखा से जुड़ी पुलिस आई और उसे उठा ले गई। उसे पुलिस थाने में 3 से 4 दिन रखा गया जहाँ उसे पीटा जाता, उल्टा लटकाया जाता, उसकी उंगलियों के ऊपर पिन चुभाई जाती और उस पर दबाव डाला जाता कि वह ये स्वीकार कर ले कि उसने चोरी की है। **ए** को अगले 10 दिन और पुलिस लॉक–अप में रखा गया। अलग–अलग पुलिस स्टेशन से लगी हुई पुलिस, जैसे कि अयोध्या पुलिस स्टेशन, हबीबगंज पुलिस स्टेशन और पिपलानी पुलिस स्टेशन को हिरासत दी गई। इन सब यातनाओं के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट के कहने पर **ए** का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसमें उस पर चोट लगने के निशान नज़र आए। पुलिस ने एक सादे कागज़ पर **ए** के हस्ताक्षर लिए। उसके बाद **ए** को भोपाल सेन्ट्रल जेल में रखा गया।

जब **ए** 16 साल का था तब भी पुलिस ने उसको 20 साल का दर्शाया। **ए** के पास जन्म प्रमाण पत्र था और स्कूल के कुछ रिकॉर्ड थे जो यह बताने के लिए काफ़ी थे कि वह एक

किशोर है। वह भोपाल सेन्ट्रल जेल में 16 दिन तक रहा। उसके बाद उसको निरीक्षण गृह में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले 40 दिन वह निरीक्षण गृह में रहा। भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 392 के तहत पुलिस ने उस पर चेन झपटने के 14 झूठे आरोप दर्शाए। पुलिस के द्वारा दी जा रही ये यातनाएँ तब थम गईं जब **ए** ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने ये अपराध किए हैं। **ए** एक वकील से मिला जिसने **ए** को ज़मानत दिलाई और इसके लिए उसके परिवार को वकील को पैसे देने पड़े। उसके केस अभी जहाँगीराबाद के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित हैं। अब उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक माह में दो से तीन बार पेशी देनी पड़ती है। जहाँगीराबाद अमन कॉलोनी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एम.पी. नगर और निशातपुरा से लगी पुलिस **ए** को ढूँढने लगातार आती रहती है। इस प्रकार की पुलिस प्रताड़नाओं से बचने के लिए **ए** कई रातें अमन कॉलोनी के अलग–अलग घरों में बिताता है। वर्तमान में **ए** अपने पापा के साथ चश्मे बेचने का काम करता है।

बी (उम्र 18 वर्ष) ने बताया कि उसको क्राइम ब्रांच के 40 अधिकारियों ने 8–9 माह पहले सवेरे 2:30 बजे संजय नगर कॉलानी से उठा लिया। उसे एम.पी. नगर क्राइम ब्रांच ले जाया गया जहाँ उसे पहले दो दिन पीटा गया और उसके हाथों को पाइप से बाँधकर उसे लटका दिया गया। उस पर लगातार दबाव डाला गया कि वह यह कबूल कर ले कि उसने अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 392 के तहत् उसके खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज की गई और उसे एम.पी. नगर पुलिस थाने में आठ दिन तक रखा गया। उसके बाद दो दिन अयोध्या पुलिस स्टेशन में रखा और फिर उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ले जाया गया और निरीक्षण गृह भेज दिया गया। वहाँ पर भी वह 6 दिन तक रहा। उसके बाद उसे ज़मानत मिली और वह बाहर आ पाया। उसके ख़िलाफ़ लगाया गया किशोर केस अभी भी चल रहा है। एक माह पहले **बी** को निशातपुरा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और वहाँ उसे सुबह दस बजे तक रखा गया। उसको नहीं पता था कि किसलिए उसको बुलाया जा रहा है। **बी** को लगता है कि शायद उसके ख़िलाफ़ कोई दस्तावेज़ीकरण कर लिया गया है जिसके तहत उसको बार–बार बुलाया जाता है।

सी (उम्र 45 साल) ने जाँच दल को बताया कि देर रात को पुलिस द्वारा उसे मारा गया और बदूंक की नली दिखाकर जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। नशे में धुत 10 से 15 पुलिस वाले आए और हंगामा खड़ा किया। कॉलोनी की महिलाएँ यह पूछने के लिए बाहर आईं कि क्या हो रहा है तो 8–10 महिलाओं को भी पीटा गया। 70 साल की महिला तक को पुलिस के डंडों से मारा गया। महिलाएं हमीदिया अस्पताल गईं लेकिन वहाँ उनका इलाज करने से डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया गया कि इस मुद्दे पर पहले पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और फिर ही उनका इलाज पुलिस की उपस्थिति में करेंगे।

बंजारी बस्ती

पृष्ठभूमि

बंजारी बस्ती (जिसे नए अम्बेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है) 20 साल पहले बनी थी, जब शहर के बीचोंबीच स्थित झुग्गी बस्ती को इस जगह स्थानांतरित किया था। मगर धीरे–धीरे यह ज़मीन भी, शहर के एक कीमती और आधुनिक इलाके का हिस्सा बन गई है। बस्ती की सीमाएं फैलती गई हैं और इस बस्ती की सबसे नई बसाहटें पारधी, गोंड और अन्य समुदायों से मिली–जुली आबादी है। जिस ज़मीन पर बंजारी बस्ती स्थित है, वहाँ पर वर्तमान में ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल वह ज़मीन राज्य सरकार की है, मगर कॉलोनाइज़र्स उस पर अवैध अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यों, इस बस्ती को लगातार दो साल जलाया गया। उसके बाद बेदखली की पूर्व सूचना दिए बगैर, नगर निगम का डिमॉलिशन स्क्वॉड बस्ती को तोड़ने आया। बस्ती अभी भी खड़ी है क्योंकि रहवासियों को अदालत से इस ज़मीन का स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) मिला हुआ है।

बंजारी बस्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएँ मुहैया नहीं हैं। स्वास्थ्य की कोई समस्या आने पर लोगों को बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ता है। उस इलाके में पानी की कोई सुविधा भी नहीं है। पानी की पाईप की सप्लाई नहीं है। रहवासी पानी टैंकरों से लेते हैं और टैंकर सिर्फ़ उसी इलाके तक जा पाते हैं जहाँ मोटर जाने के लिए रास्ता है। इस तरह बस्ती में जहाँ पानी नहीं आता है वहां के परिवार अन्य लोगों से 5 रूपए के हिसाब से पानी के पीपे खरीदते हैं। आजीविका के लिए महिलाएँ सड़को पर कबाड़ बीनने जाती हैं और आदमी ठेले पर कबाड़ खरीदते हैं।

बंजारी बस्ती मे 100 से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने वाली उम्र में हैं, अर्थात् 6 से 14 के बीच की उम्र के। मगर केवल 12 से 15 बच्चे ही स्कूल जाते हैं; बाकी बच्चे कामगार हैं और कबाड़ इकट्ठा करने जाते हैं। सबसे नज़दीक सरकारी स्कूल अकबरपुर में तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको छोड़कर इस क्षेत्र में 8 से 10 निजी स्कूल हैं मगर उनमें इस बस्ती के बच्चों को दाख़िला नहीं दिया जाता है। बंजारी बस्ती में एक आँगनवाड़ी चल रही है। जाँच दल ने देखा कि बच्चे आँगनवाड़ी में दिया गया खाना घर ले जा रहे थे।

लोगों को उठा ले जाना और उनसे 3,000 से 10,000 रुपए तक की माँग करना पुलिस के लिए रोज़मर्रा की सामान्य सी बात बन चुकी है। जैसे ही लोग इस पैसे को जोड़ पाते हैं, वे थाने जाकर इसका भुगतान कर देते हैं – रोज़ का रोज़ कचरा इकट्ठा करके इनके परिवारों का गुज़ारा चल पाता है, इसलिए जब वे पुलिस लॉक–अप में होते हैं तो इतना कमा पाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने परिजनों को जेल से छुड़वाने के लिए लोगों को बहुत ऊँची दरों पर ब्याज पर उधार लेना पड़ता है।

8 से 9 साल और इससे भी छोटे बच्चों पर भी झूठे केस दर्ज़ होते रहते हैं। इन बच्चों को इन बहानों के आधार पर उठाया जाता है कि बच्चे खिड़कियों से घरों में घुस जाते हैं और बर्तन चुराते हैं। पुलिस 5–6 बच्चों को एक साथ उठाती है और उनको एक या दो दिन से ज़्यादा तक पुलिस स्टेशन में रखती है। अगर उनको सुबह उठाया गया है तो देर शाम से पहले उनको कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। पुलिस उनके माता–पिताओं से जुर्माना और चाय पानी के लिए पैसे माँगती है और हर बच्चे को छोड़ने के लिए 1000–2000 रुपए लेती है।

लोगों की आपबीती

डी 16 साल का है। उसके पापा ख़तम हो चुके हैं; वे चार भाई और चार बहनें हैं। उनकी मम्मी न्यू मार्केट मंदिर पर भीख माँगती हैं। जब **डी** बहुत छोटा था तब ही उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसका गौना अभी बाकी है। उसकी पत्नी मुन्दीखेड़ी गाँव में रहती है। **डी** कबाड़ी (कूड़ा इकट्ठा करके बेचने) का काम करता है। रविवार और गुरूवार के दिनों में **डी** घर–घर जाकर रद्दी अखबार और कबाड़ के बर्तन खरीदता था। दुकान का कबाड़ीवाला उसको एक ठेला, तौलने का औज़ार और साथ में कबाड़ खरीदने के लिए 1000 रुपए देता है। जिन दिनों में वह काम करता है, 150 से 200 रुपए तक कमा लेता है। दीवाली के समय वह यह काम पूरे दो महीने तक रोज़ करता है और इस तरह कुछ अतिरिक्त पैसा कमा लेता है। पहले वह राजीव नगर में 5 से 6 साल तक रहा, मगर पुलिस की अत्यधिक प्रताड़ना से तंग आकर 6 महीने पहले बंजारी बस्ती आ गया। राजीव नगर से भी पहले व मुन्दीखेड़ी गाँव में रहता था। राजीव नगर में **डी** कचरा बीनने के लिए गलियों में घूमता रहता था। लगभग 3 साल पहले राजीव नगर में वह पुलिस द्वारा उठा लिया गया था, और टी.टी. नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था जहाँ उसे 3–4 दिनों तक रखा गया था। उसे पुलिस द्वारा बहुत मारा गया था। उसे थप्पड़ मारा गया, उसके कान खींचे गए और गला घोंटने की कोशिश की गई।

डी ने एक घटना का उल्लेख किया जब पुलिस उसके घर में घुस गई थी। और उसे यह कहते हुए उठा ले गई थी कि उसने माता मंदिर के एक घर में चोरी की है। बाद में पुलिस उसे घर लेकर आई, उसकी माँ से यह कहने कि अगले दिन वो पुलिस स्टेशन आएं, जो उन्होंने किया भी। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस को 7,000 रुपए दिए तब जाकर उन्होंने **डी** को छोड़ा।

2 – 3 महीने पहले **डी** को फिर से उठा लिया गया। पुलिस ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, और यह बताने के बावज़ूद कि **डी** मुण्डीखेड़ी गाँव से लौट रहा है और शहर के बस स्टैण्ड से अभी–अभी आ रहा है, उसको जबरन पुलिस की जीप में बैठाया और लाल घाटी चौकी में ले जाया गया। और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। **डी** ने कहा कि पुलिस पारधियों से इस प्रकार के सवाल पूछती है, ''तुम कहाँ से आ रहे हो?'' ''तुम जा कहाँ रहे हो?'' पारधी लोग अपने रोज़ के कामकाज को निभा पाने में भी असक्षम हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वे बाज़ार से सब्ज़ियाँ लेने भी जाते हैं तो पुलिस वाले उनको टोकते हैं और यह पूछते हैं कि उनका नाम क्या है? अगर उनकी पहचान पारधी की तरह से उजागर होती है तो पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। उसने आगे जोड़ा कि पारधी पुलिस से डरते हैं क्योंकि उनको इतना मारा जाता है और इतनी यातनाएँ दी जाती हैं कि वे उन अपराधों को भी कबूल लेते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं होते।

ई 16 साल का है और कचरा इकट्ठा करता है। पन्द्रह दिन पहले जब वह समोसा खरीदने के लिए जा रहा था, उसको पुलिस ने उठा लिया और उससे पूछा गया कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। यह बताने पर भी कि उसने पैसे घर से लाए हैं, पुलिस **ई** को कोलार पुलिस स्टेशन ले गई जहाँ उसे 24 घंटे तक रखा गया। जब उसके पापा ने 2,000/– रुपए दिए तब जाकर उसको छोड़ा गया।

एफ़, उम्र 40 साल, ने एक घटना का उल्लेख किया जहाँ उसकी बेटियाँ तीन साल तक गायब रहीं। लगभग 8 साल पहले उसकी पत्नी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अपने माता–पिता के घर चली गई थी। उनकी दो लड़कियां थीं, एक आठ साल की, दूसरी साढ़े तीन साल की। उन लड़कियों ने एक दिन तय किया कि वे अपनी माँ का पीछा करेंगी।

एफ़ को यह नहीं पता था कि उसकी बच्चियाँ कहाँ हैं इसलिए उसने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ करा दी। मगर पुलिस द्वारा उनका पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। वह अपनी बच्चियों की खोज में बहुत दूर–दूर पुणे जैसी जगहों तक भी गया। वह जितने भी बाल प्रवास गृह के बारे में या अनाथाश्रम के बारे में जानता था, वहाँ गया मगर सब प्रयास व्यर्थ रह गए। उसने इधर–उधर जाने के लिए पैसे उधार लिए। कुछ दिनों बाद उसी बस्ती से एक और बच्चा खो गया और उसका पता एक सरकारी बालिका–गृह में मिला। जब **एफ** का पड़ोसी अपने बच्चे का पता लगाने चाईल्ड लाईन गया तो उसने पाया कि **एफ** की बच्चियाँ भी उसी संस्था में हैं। खोने के तीन साल बाद बच्चियाँ अपने घर वापस लौट पाईं।

जी पेशे से एक ड्राइवर है। उसने कहा कि उसके ख़िलाफ़ एक आपराधिक मामला चल रहा है जिसमें यह दिखाया गया है कि वह चाकुओं का काम करता है और यह एक पूरा पूरा झूठा केस है।

एहसान नगर

पृष्ठभूमि

एहसान नगर, आधिकारिक तौर पर जिसको संजय नगर भी कहते हैं, लगभग 12 साल पहले अस्तित्व में आया। तब लगभग 20 परिवार भोपाल के बाहरी इलाके – बैरागढ़ से यहाँ स्थानांतरित हुये थे। ये लोग बैरागढ़ में 30 सालों से रह रहे थे। सिन्धी परिवार बैरागढ़ मे शिफ्ट होना चाहते थे क्योंकि वहाँ उनके समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं। उस वक़्त इन सभी 12 परिवारों को 29 साल की लीज़ पर अपने घर के बदले 6,000 रुपए में ये प्लाट आवंटित किए गए थे। वहाँ के रहने वाले लोगों ने यह भी बताया कि करोंद (जहाँ पर एहसान नगर स्थित है) के मुकाबले उनकी बैरागढ़ की संपत्ति ज़्यादा बहुमूल्य थी। उस वक़्त उनको वहाँ बसाने में एहसान भाई ने बहुत मदद की थी इसीलिए उस जगह का नाम ही एहसान नगर पड़ गया।

एहसान नगर छावनी के पास है। एहसान नगर में पाँच गलियाँ हैं जहाँ पर पारधी रहते हैं। यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है क्योंकि पाइपलाइन नहीं है और बोर वेल भी सूख गए हैं। एक बाल्टी के एक रुपए देकर आस–पास के लोगों से वे लोग पानी ख़रीदते हैं। हाल ही में बोर वेल में पानी आने लगा है क्योंकि भूमिगत पानी का स्तर ऊपर आ गया है। शौचालय भी नहीं हैं इसलिए वहाँ के लोग खुले में मलमूत्र त्याग के लिए जाते हैं। वहाँ की औरतों ने बताया कि जब वे शौच के लिए खुले में जाती हैं तो आने–जाने वाले लोग उनको देखकर अश्लील टिप्पणियाँ करते हैं। करोंद में एक सरकारी स्कूल भी है, मगर वहाँ के 50 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चे निजी स्कूल में जाते हैं।

जाति प्रमाण पत्र[1] नहीं बन पाने के कारण उनको कॉलेज में प्रवेश लेने व नौकरी पाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा बच्चे यह सोच कर स्कूल छोड़ देते हैं कि उनको नौकरी तो मिल नहीं पाएगी तो पढ़ लिखकर वे क्या करेंगे?

बच्चे और औरतें कचरा बीनने जाती हैं और औसतन 100 से 150 रूपए हर दिन में कमा लेते हैं। आदमी घर का काम करते हैं लेकिन औरतों और बच्चों की कमाई पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं।

एहसान नगर अब मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर हो गया है क्योंकि उसकी दो तरफ़ की सीमाओं पर दीवारों का निर्माण हो गया है। इन दीवारों ने उस इलाके में घुसना थोड़ा बाधित कर दिया है क्योंकि बस्ती पहुँचने के लिए एक ही गली है।

अमन नगर के रहवासियों की तरह एहसाननगर के रहवासी भी पुलिस के आतंक से त्रस्त हैं। प्रताड़नाओं ने लोगों के अंदर आतंक भर दिया है और उन्होंने एक दूसरे को ही संदेह की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि उनके बीच में ही कुछ लोग हैं जो पुलिस के मुखबिर हैं। महिलाओं ने बताया कि पुलिस का रोज़ का सामान्य काम है कि जब वे ''पति–पत्नी की तरह'' रात को साथ सो रहे होते हैं तब वे आधी रात को दरवाज़ा तोड़ देते हैं।

लोगों ने बताया कि करीबन एक साल पहले, रात को दो बजे के समय 40 मर्द और 40 औरतों को पुलिस ने उठा लिया था। पुलिसवालों से भरे हुए दो पुलिस वैन उनकी बस्ती आए थे जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर भी था। सबको पीटा गया और अगले दिन छोड़ा गया जब हरेक के लिऐ 1,000 रुपए दिए।

लोगों ने कहा कि उस इलाके के कोई भी निर्वाचित नेता ने कभी भी उनकी कोई मदद नहीं की हैं।

[1] अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 अर्थात क्रं. 10 2003 के अनुसार भोपाल, रायसेन व सीहोर ज़िलों से पारधी जाति को सूची से हटा दिया गया है।

लोगों की आपबीती

एच (बारह साल की लड़की) ने जाँच दल को बताया कि वह अपने माता–पिता, दो भाइयों और एक बहन के साथ रहती है। उसके भाई स्कूल जाते हैं जबकि **एच** अपनी मम्मी की तरह कचरा बीनने जाती है। **एच** भी स्कूल जाना चाहती है। लगभग एक दो माह पहले **एच** को मिलाकर चार बच्चे करोंद चौराहा से पुलिस द्वारा उठाए गए थे। उनको एक वैन (जिसमें पुलिस के सिपाही भरे हुए थे) में करोंद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। (निशातपुरा पुलिस स्टेशन को करोंद पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है)। उसके बाद बच्चों को बाल सुधार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें दस दिन एक घर में रखा गया। यह सब एक ''भीख विरोधी अभियान'' के तहत किया गया था।

आई, उम्र 14 साल, नवीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ता है। वह एहसान नगर में अपने माता–पिता, एक बहन और तीन भाइयों के साथ रहता है। **आई** अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। छः माह पहले **आई** और उसके दोस्त एक टीशर्ट ख़रीदने बाज़ार गए थे। दो बजे वे दुकान पर पहुंचे और उन्होंने एक टीशर्ट ख़रीदी। घर लौटने से पहले जब वे करोंद चौराहा पर खाना खा रहे थे तब दो पुलिसवाले मोटर साइकिल पर आए और उनसे पूछने लगे कि वे क्या कर रहे थे। जब उन्होंने बताया कि वे टीशर्ट ख़रीदने गए थे, पुलिस ने उल्टा इल्ज़ाम लगाया, ''तुम लोग चोर हो।'' **आई** ने पुलिस को बताया कि टीशर्ट सच्ची में खरीदी है, चोरी नहीं की। पुलिस ने **आई** से कहा कि वह उसे उस दुकान पर ले चले जहाँ से उसने उस टीशर्ट को ख़रीदा है, जो कि **आई** ने किया और दुकानदार ने भी इस बात की पुश्टि की कि टीशर्ट ख़रीदी ही गई है। पुलिस ने फिर भी **आई** और उसके दोस्त को चांटा मारा और उनको धमकी दी कि वे इसके बाद दोबारा कभी भी निशातपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नज़र ना आएँ।

जे (16 साल के बच्चे) ने बताया कि लगभग एक साल पहले सुबह 4 बजे के दौरान एहसान नगर के 35 रहवासी, जिनमें बच्चे भी थे, को पुलिस ने उठा लिया था और निशातपुरा पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ उनको पाइप से पीटा। पुलिस ने कहा कि उनको एक चोरी के आरोप में उठाया गया है। पुलिस ने उन लोगों को शाम 6:00 बजे छोड़ा, जब उठाए गए लोगों ने 1,000 से 2,000 रूपये के बीच में पुलिस वालों को दिए। **जे** अपने 19 साल के भाई के साथ उस समय उठाया गया जब वह रात में अपने घर में सो रहे थे। **जे,** शीशों और खिड़कियों के लिए एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाने का काम करता है।

के ने जाँच दल को अपनी लड़की **एल** के बारे में बताया जो 14–15 साल की है। **एल** दो लड़कियों के साथ सुबह 11 बजे के दौरान चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रही थी। पुलिस उनको उठा कर पर्वालया पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ उनको 3–4 दिन तक रखा। **एल** के अभिभावकों को नहीं पता था कि **एल** कहाँ हैं तो वे अलग–अलग पुलिस स्टेशनों मे उसकी खोज करने के लिए

गए और अंततः उन्होंने उसको यहाँ पाया। पुलिस ने 50,000 रुपयों की माँग की। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग एक माह पहले वह 'कर्नल साहब' के नल चुराने में शामिल थी। क्योंकि वह परिवार इतनी रकम चुका पाने में असक्षम था इसलिए वो थाने से नहीं छूट सकी। उस पर केस दर्ज़ कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसको विदिशा के निरीक्षण गृह में रखा गया और उसके माता–पिता को इसकी जानकारी नहीं दी गई। विदिशा भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 18 दिनों बाद निरीक्षण गृह से एक ऑफ़िसर ने **के** से संपर्क किया और उसकी बेटी **एल** के बारे में उसे जानकारी दी। **के** ने एक वकील किया जिसने उसकी बेटी के लिए ज़मानत दिलवाई। **एल** का केस किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है। जाँच दल **एल** से नहीं मिल सकी क्योंकि वह अपनी तारीख पर किशोर न्याय बोर्ड गई हुई थी।

एम 17 साल का एक किशोर है। उसने दो साल पहले की एक घटना बताई। उस वक़्त वह स्कूल में पढ़ता था। वह अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर दोस्त की दुकान के लिए किराने का सामान लेने जा रहा था। दोपहर को करीबन एक बजे पुलिस वालों ने उन्हें रोका। क्योंकि दीवाली का समय था, इसलिए **एम** के पास दिवाली के पटाखे बजाने के लिए एक खिलौने वाली बंदूक थी। पुलिस **एम** और मोटरबाइक को निशातपुरा पुलिस स्टेशन ले गए जहां उसे बहुत पीटा गया। रात को नौ बजे पुलिस ने उसे छोड़ा लेकिन तब जब उसकी माँ ने पुलिस को 5,000 रुपए अदा किए, तब ही।

एन (17 साल) **ओ** के साथ लामाखेड़ा कूड़ा बीनने गया था। सुबह नौ बजे उन दोनों को पुलिस द्वारा उठा लिया गया। उन्हें निशातपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ उनको गालियाँ दी गईं और डंडों से उनको पीटा भी गया। तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है, आज पकड़ाए हो। अब तुम्हे फाँसी लगाएंगें। इसी बीच **एन** के दादा की मौत हो गई। उसने पुलिसवालों से उसे छोड़ने की बहुत मिन्नतें करी; और अंततः शाम 5 बजे (2,000 रूपए लेकर) पुलिस ने उसे छोड़ा। 10–15 दिन बाद दो पुलिसवाले **एन** के घर आए और मारने की धमकी देकर परिवार से और पैसे झपट ले गए।

पी (22 साल) ने कहा कि (भोपाल से 97 किलोमीटर दूर) मुन्दीखेड़ी गाँव में उसके पूर्वजों की 18 एकड़ ज़मीन थी। लगभग पाँच साल पहले उसने 2 एकड़ ज़मीन बेच कर एहसान नगर में एक प्लॉट खरीदा क्योंकि उसके सास ससुर यहाँ रहते हैं। और एक मोटरबाइक भी खरीदी थी। इसके पश्चात् निशातपुरा पुलिस स्टेशन की पुलिस उसे अक्सर उठाती रहती है और उससे बहुत सारा पैसा माँगती रहती है। 20,000, 40,000, 80,000 रुपए जितनी बड़ी रकम पुलिस ने उससे अलग–अलग समय पर छोड़ने के लिए लिये हैं। एक बार पुलिस ने **पी** को इस बात पर उठा लिया कि उसने मोटरबाइक चुराकर बेची है। **पी** ने कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए बोला लेकिन पुलिस ने ऐसा कभी नहीं किया। पुलिस उसे मारती रहती थी और मार से बचने के लिए वह पुलिस को अक्सर रकम चुकाता रहता था।

करीबन 20 दिन पहले पुलिस उसके घर रात

को 3 बजे आई और दरवाज़े पर पीटना शुरू किया। **पी** की पत्नी, **क्यू**, ने बताया कि उसने कपड़े भी नहीं पहने थे और पुलिस से दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ समय माँगा। मगर पुलिस लगातार उनके दरवाज़े पर भड़भड़ाती रही। युवा जोड़ा और उनके बच्चे डरके रोने लगे। **पी** ने यह भी सोच लिया कि वह फाँसी लगा ले मगर फिर उसकी सास यह सब हंगामा सुनकर दरवाज़े पर आई और कहा कि वे लोग दरवाज़ा खोलें और डरें ना। तब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। यह कहते हुए कि वे चुराए गए सामग्री को खोज रहे थे, पुलिस ने उनके फर्नीचर व फर्श को बरबाद कर दिया। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दो मोबाइल और 3 घड़ियां ज़ब्त कर लीं और **पी** तथा उसकी पत्नी को पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। **क्यू** अभी भी पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने थी, इसलिए उसकी माँ उस दंपति के दो साल के लड़के और एक साड़ी लेकर पुलिस की वैन की तरफ़ भागी।

थाने पर महिला ने उसकी शारीरिक जाँच पड़ताल की। पुलिस ने **पी** को धमकाया कि उन्होंने घर में खोजबीन के दौरान एक सोने की चेन पाई है और वे उस चेन को उनके ख़िलाफ़ साक्ष्य की तरह इस्तेमाल करेंगे। मगर **क्यू** ने जाँच दल को बताया कि पुलिसवालों की यह खुद की लाई गई लाई चेन थी। (चेन बरामद में भी नहीं दिखाई गई है।) पुलिस ने उनके व्यक्तिगत मोबाइल को भी ज़ब्त कर लिया। पुलिस ने उनसे 1,50,000 रुपए माँगे। **क्यू** की सास ने पैसे कम कराने के लिए पुलिसवालों से समझौता करने की कोशिश करते हुए **क्यू** और **पी** को छुड़ाने के लिए मिन्नत माँगी। इस तरह **क्यू** को अगली रात 10 बजे छोड़ा गया और सुबह वापिस थाने आने को कहा गया। उसके बाद दोनों महिलाओं ने सत्र न्यायालय में आवेदन लगाया कि पुलिस ने **पी** को अपनी हिरासत में रखा है और उसे छोड़ने के लिए पैसे की माँग रहे हैं। अदालत में पहले तो थाना पुलिस ने मना कर दिया कि **पी** उनकी हिरासत में है लेकिन फिर जज के ज़ोर देने पर दोपहर तीन बजे (आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक झूठे मामले में फंसाकर) कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। **पी** को सत्र न्यायालय ने तत्काल ही ज़मानत पर छोड़ दिया। **पी** और **क्यू** इस बात को लेकर बहुत ही उदास थे कि उनका मोबाइल ले गए क्योंकि उसमें उनके बच्चे की जन्म से लेकर अब तक की तस्वीरें थीं।

आर (35 साल) और उसके पति को पुलिस ने घर से उठा लिया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 3–4 अपराध किए हैं। उनको 3 दिन पुलिस स्टेशन में रखा गया, वहीं बहुत बुरी तरीके से रोज़ पीटा गया। दो दिन बाद भोपाल सेन्ट्रल जेल भेजा। उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया जिसके लिए 20,000 रुपए खर्च करने पड़े। क्योंकि तीन दिन बाद उनके लड़के की शादी होनी थी इसलिए वे जेल से जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। पुलिस ने उनको और उनके समुदाय को गाली दी, ''तुम पारधी लोग चोरी करते हो''।

एस, ने बताया कि उसके पति को चोरी के झूठे आरोप में उठा लिया गया। पुलिस स्टेशन में 4 दिन तक रखा गया। उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी ताकि वो अपने पति को 30,000 रूपए देकर छुड़ा पाए।

गाँधी नगर

पृष्ठभूमि

शहर की परिधि में एयरपोर्ट के पास स्थित गाँधी नगर एक बड़ी बस्ती है। 'बस्ती उन्मूलन कार्यक्रमों' के तहत् इस बस्ती में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है मगर इन सुविधाओं के रखरखाव का मसला है। बस्ती में सामाजिक संकेतांक खराब स्थिति में ही हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, मगर रात को कोई सुविधा नहीं है ना ही यहा प्रसव हो सकते हैं।

जाँच दल ने इस बस्ती में पारधी और गोंड समुदाय के लोगों से मुलाकातें कीं। इस इलाके में एक निजी स्कूल है, मगर साथ वाले मोहल्लों में लगभग 10 निजी स्कूल हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि वे निजी की बजाय सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर क्योंकि स्कूल बड़ी सड़क के पार है इसलिए वे अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाते हैं। साथ ही इस सरकारी स्कूल के आस पास बड़े–बड़े गड्ढे हैं जो पानी से भरे रहते हैं। ये दोनों स्थितियों के चलते दुर्घटना हो सकती हैं इसलिए माता–पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरते हैं। (इन समूहो में केवल कुछ ही बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि बहुत सारे बच्चे कचरा चुनने का काम करते हैं। तकरीबन 5 में से 2 बच्चे स्कूल जाते हैं।)

यहाँ लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि पुलिस कभी भी उन्हें उठा ले जाएगी। हरेक परिवार ने कभी न कभी पुलिस का सामना ज़रूर किया है और पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए पैसे देने के लिए भी मजबूर हुए हैं। क्योंकि वे लोग अकसर पुलिस को पैसे देते रहते हैं, इसलिए वहाँ के 90 प्रतिशत लोग कर्ज़ में डूबे हैं। बच्चे पुलिस के हाथों से लगातार शारीरिक हिंसा को सहते हैं। लोगों को यह महसूस होता है कि सरकारी व्यवस्था उनके पूरे समुदाय को दुश्मननुमा नज़रों से देखती है।

एक रहवासी, **टी,** ने समुदाय के एक अन्य दुख को साझा किया। पारधी समुदाय के अंदर की जाति पंचायत है। उसने कहा कि लोग जाति पंचायत से भी प्रताड़ित हैं। उसके अवलोकन और अनुभव से वह कहता है कि कोई भी (जाति पंचायत जिस प्रकार काम करता है) किसी भी प्रकार का अपराध करके जाति पंचायत से साफ़ बच निकलता है – पंचायत के लोगों को घूस देकर। चाहे लड़कियां या महिलाओं पर यौन हिंसा का अपराध हो। पंचायत बैठती है, अपना फैसला सुनाती है, जिसमें मनमानी सज़ाएं होती हैं और नगद भुगदान करना पड़ता है। जाति पंचायत के फैसले को नहीं मानने का परिणाम यह होता है कि लोगों को समुदाय से बाहर होना पड़ता है। जाति पंचायत का मुखिया बनना वंश का मसला होता है। किसी ख़ास परिवार का पुरूष मुखिया ही उसका मुखिया हो सकता है।

लोगों की आपबीती

जाँच दल ने 14 वर्षीय **यू** और **वी** से बात की। ये दोनों लड़कियाँ एक दूसरे की दोस्त हैं और ज़्यादातर समय साथ में ही बिताती हैं। कबाड़ बीनने भी ये साथ ही जाती हैं। **यू** के पिता का देहान्त हो चुका है और माँ गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। **यू** के तीन छोटे भाई–बहन हैं। यद्यपि वह खुद एक छोटी बच्ची है, लेकिन वास्तव में वह पूरे परिवार को चला रही है। **वी** अपने परिवार के साथ में रहती है। **वी** और **यू** दोनों ही विद्यालय नहीं जाती हैं।

लालघाटी में कूड़ा बीनते समय **वी** और **यू** के साथ हुए उत्पीड़न को दोनों ने जाँच दल के साथ साझा किये, जो कुछ इस प्रकार थे। एक दिन वो कूड़ा बीन रही थीं तो उन्हें एक हलचल सुनाई दी। 5–6 लोग उनकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे जिससे वे अचंभे में पड़ गईं। वे लोग चिल्ला रहे थे, ''दोनों लड़कियों को पकड़ो, ये चोर हैं। इन्होंने चोरी की है।'' भीड़ में से यही आवाज़ें आ रही थीं। ''इन्हें पकड़ कर रखो। हम इन्हें सज़ा देंगे, ये चोर है।'' दोनों लड़कियाँ डर गईं ओर गिड़गिड़ाने लगीं कि उन्होंने चोरी नहीं की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे चोर नहीं हैं; वे सिर्फ़ कूड़ा बीन रही थीं। उनकी बोरी को पलटने पर उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी लड़कियों को 18 पंखों की चोरी का ज़िम्मेदार ठहराया गया। लड़कियों ने टीम को बताया कि 18 पंखों को दो बोरियों में रखना असंभव है। फिर भी उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनका नाम पूछा गया। उन्होंने अपना नाम **यू** 'पारधी' और **वी** 'नट (गुजराती)' बताया। नाम सुनकर **वी** को घर भेज दिया। **वी** ने घर जाकर **यू** की माँ को पूरा घटनाक्रम सुनाया पर बीमार होने के कारण वे कुछ भी नहीं समझ सकीं।

इस दौरान उस कॉलोनी के पुरूषों ने बड़ी बेरहमी से **यू** को मारा–पीटा और एक कमरे में बंद रखा। **यू** को सिर्फ़ चाय पीने को दिया गया और खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। शाम को पुलिस वहाँ पहुँची और महिला और पुरुष पुलिस ने फिर से **यू** को पीटा। महिला पुलिस ने **यू** से कहा, ''तुम लोग चोरी करते हो, क्या मिलता है तुम्हें चोरी करके?'' **यू** ने पुलिस को बताया कि उसने चोरी नहीं की है मगर पुलिसवालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया।

उसे पुलिस थाने में ले जाकर फिर से पीटा गया। पुलिसवालों द्वारा सवाल जवाब करने पर और रिश्तेदारों के नाम पूछने पर **यू** ने जान बूझकर अपनी मामी का नाम बताया। उसे उम्मीद थी कि पुलिसवाले थाने में उसकी मामी को लायेंगे और उन्होंने वही किया भी। शाम को **यू** और उसकी मामी का ब्यौरा दर्ज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अगले दिन उन्हें फिर अपनी माँओं के साथ थाने बुलाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

डब्ल्यू (20 वर्ष) और **एक्स** (16 वर्ष) दोस्त हैं और साथ में जड़ी बूटियाँ बेचने का काम करते हैं। इसके लिए वे भोपाल के आस–पास से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते हैं और पास के ज़िलों में बेचते हैं। कुछ दिनों पहले वे किसी काम से शुजालपुर जा रहे थे। वे दोनों बैरागढ़

स्टेशन से ट्रेन में चढ़े और जल्दबाज़ी में विकलांगों के लिए आरक्षित डब्बे में चढ़ गए। उनके पीछे लगभग 20 और लोग उसी डब्बे में चढ़े। पुलिस ने बाकी लोगों को तो जाने दिया लेकिन **डब्ल्यू** और **एक्स** को उज्जैन ले जाकर हवालात में डाल दिया। पुलिस ने पैसे माँगे और जब वे नहीं दे पाए तो उन्हें पीटा गया। उन्हें पुलिस थाने से काफ़ी रात में छोड़ा गया।

डब्ल्यू और **एक्स** ने एक साल पहले घटित हुई एक और घटना सुनाई। वे अपने दोस्तों के साथ पचमढ़ी में दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर चोरी के आरोप में उठा लिया। पूरे दो दिन उन्हें हवालात में रखा गया था।

दोनों लड़कों ने कहा कि शुरुआत में वे पुलिस के इस प्रकार के व्यवहार पर हक्के बक्के थे। पर बाद में सभी ने उन्हें बताया कि जब पुलिस असली अपराधी को पकड़ पाने में असमर्थ होती है या जब प्रभावशाली और धनी लोग शक के घेरे में होते हैं, तब पुलिस बेकसूर लोगों को पकड़कर यह ढोंग रचती है कि मामला सुलझ गया। दोनों लड़कों ने ऐसा भी महसूस किया कि जब पुलिसवालों के पास कोई काम नहीं होता तब वे इस प्रकार के झूठे मामले दर्ज कर यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वे काम में मशगूल हैं।

वाई (14 साल) और **ज़ेड** (9 साल) उनके कुछ महीनों पहले के अनुभव बताते हैं। वे दोनों झूला झूलने के लिए सिंगार–चोली मंदिर जा रहे थे। उनके साथ दूसरा लड़का भी था जो पहले पुलिस द्वारा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। वे सड़क पर चल रहे थे जब पुलिस आई और उन पर चिल्लाई और स्पष्ट यौनिक गालियाँ देते हुए उन्हें वहीं रुकने को कहा। पुलिस को देखते ही जो लड़का **वाई** और **ज़ेड** के साथ था, वह भागने लगा। वे समझ न सके कि क्या हो रहा है तो वे भी भागने लगे। तीसरा लड़का इतनी तेज़ भागा कि पुलिस की पकड़ से बच गया लेकिन **वाई** और **ज़ेड** पुलिस की पकड़ में आ गए और उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया।

पुलिस ने उनकी उंगलियों पर रबर की लकड़ी से मारा और उनसे चोरी के बारे में पूछा, ''क्या चोरी करते हो? कहां से चोरी करते हो?'' जब उन्होंने कहा कि वे चोरी नहीं करते तो उन पर गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ और रबर की छड़ी लगातार उनकी उंगलियों पर पड़ने लगी। उन पर लगातार मार पड़ती जा रही थी जिससे बचने के लिए **वाई** और **ज़ेड** ने चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया।

उनके साथ के तीसरे लड़के ने (जो पुलिस के चंगुल से बच गया था) बस्ती जाकर उनके माता पिता को पूरी घटना की जानकारी दे दी। उनके माता–पिता हड़बड़ी में पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें कोह–ए–फ़िज़ा पुलिस थाना भेजा गया। उनमें से एक की माँ, जो जाँच दल से मिली, उसने बताया कि उसने पुलिस से कहा था, ''ये किस तरह का अंधेर है? क्या बच्चे बिना किसी परेशानी कि झूला झूलने भी नहीं जा सकते?' 'इस पर पुलिस का जवाब था, ''अगर तुम्हारे बच्चे निर्दोष थे तो वे पुलिस को देखकर क्यों भागे?'' उसने कहा कि बच्चे इसलिए भागे क्योंकि उनके साथ जो लड़का

था वह भागा, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया था। फिर उन बच्चों की माँ ने कहा कि पुलिस ने एक मोटी फाइल दिखाई और बोलने लगे कि इन लड़कों ने मोबाइल और बहुत सी चीज़ें चुराई हैं जिनका उनके पास सबूत है। बच्चों ने अपनी माँ को पुलिस के मारने से लगी हुई चोट और छिली हुई उंगलियाँ दिखाईं। और बताया कि पुलिस की मार से बचने के लिए ही उन्होंने चोरी के उन झूठे इल्ज़ामों को स्वीकार कर लिया था।

माँ ने जाँच दल को बताया कि वह इस मुद्दे पर पुलिस से भिड़ गईं कि उन्होंने बग़ैर किसी बात के बच्चों को क्यों परेशान किया। पुलिस ने माँ को धमकी दी कि वे चोरी के सामान की खोज करने उनके घर जा रहे हैं। तभी दो पुलिस वाले आए और बच्चों की माँ से कहने लगे कि अगर वो चाहती हैं कि ये दोनों बच्चे छूटें तो कहीं से भी 50,000 रूपए का इन्तज़ाम कर दें। उसने पुलिस से कहा कि वह कचरा बीनती है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। पुलिस ने उन्हें धमकाने की कोशिश की कि अगर वह पैसे का इन्तज़ाम नहीं करती हैं तो वे उसके घर छानबीन करने के लिए आएंगे। औरत ने पुलिस से कहा कि जाकर घर की छानबीन कर लें, उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है।

पुलिस ने गाँधी नगर पुलिस स्टेशन से पता किया कि कहीं उनका पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं। गांधी नगर पुलिस स्टेशन के यह कहने के बावजूद कि उनके ख़िलाफ़ कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी पुलिस ने उनसे पैसे की माँग की। औरत ने तीन हज़ार रुपए उधार लिए और दूसरी सुबह पुलिस स्टेशन वापस आई। पुलिस ने माँ से पैसे को लेकर हुज्जत की और बार–बार औरत ने मजबूरी बताते हुए कहा कि वह और पैसों का इन्तज़ाम नहीं कर सकती तो पुलिस ने 3,000 रुपए ले लिए लेकिन फिर भी बच्चों को रात 9 बजे छोड़ा। पुलिस स्टेशन में छाती पर उनका नाम रखवाकर बच्चों की फोटो ली गई। बच्चों की माँ ने रोते हुए कहा, ''जब हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है तो इनको और हम सबको ऐसा सलूक क्यो सहना पड़ा?''

11 साल की **एए** ने 2014 की सर्दियों की एक भयानक रात का अपना अनुभव बयान किया। उस सर्द रात में वह अपने छोटे भाई और माँ के साथ घर में सो रही थी। (उसके पापा गुज़र चुके हैं।) लगभग तीन बजे के आसपास उनके दरवाज़े पर ज़ोर की धड़धड़ाहट हुई। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर पुलिस थी। पुलिसवालों ने परिवार पर आरोप लगाया कि वे चोरी में शामिल थे। **एए** की माँ (जिनको उस वक्त खसरा था) ने पुलिस को कहा कि वे थाने जाने की हालत में नहीं हैं फिर भी उनकी ख़राब सेहत के बावजूद उन्हें घर से घसीटा गया। **एए** को भी पुलिस की गाड़ी में धकेला गया। ठण्ड बहुत थी फिर भी पुलिस ने उन्हें गर्म कपड़े भी नहीं लेने दिए।

बीबी (**एए** के दो साल का छोटा भाई) का हाथ पुलिस द्वारा हाथापाई करने से टूट गया। जब वो अपनी माँ–बहन के पीछे पुलिस की गाड़ी में आ रहा था तो उसको पुलिसवाले ने

धक्का दिया जिस कारण वह रोड के बगल वाले गटर में गिर गया और उसका हाथ टूट गया। **बीबी** दर्द से तड़प रहा था पर पुलिस बार–बार कहती रही कि उसका हाथ नहीं टूटा। जब उसकी माँ ने मिन्नत करते हुए बोला कि हाथ टूटा है और उस पर ध्यान दे, तो पुलिस बच्चे के हाथ को खींच कर दिखाने लगी। इस बदसलूकी ने **बीबी** की हालत और भी बदतर कर दी।

वे सब निशातपुरा पुलिस स्टेशन ले जाए गए। साथ में उनकी मामी **सीसी** भी थीं। थाने में उन सबको रिलायंस पाइप से पीटा गया और पुलिस वाले लगातार बोलते रहे कि उन्होंने स्टेट बैंक में चोरी की है। जब उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया तो उनकी और भी बुरी तरह से पिटाई की गई। पीटने के दौरान बच्चों को उनकी माँओं से अलग कर दिया गया था। वे पुलिस थाने में नौ दिन रखे गए। थाने में पुलिस ने **बीबी** का टूटा हुआ हाथ प्लास्टर करवा दिया पर उन्हें घर नहीं जाने दिया।

पुलिस 70,000 रुपए की माँग कर रही थी। रोज़ रात को 11 बजे उन्हें महिला थाना ले जाया गया और सुबह फिर से निशातपुरा थाना लाया गया। दिन के समय वे निशातपुरा में रखे जाते थे और उन्हें पीटा भी जाता था। आखिकार **एए** की माँ ने दूसरों की मदद से 70,000 रुपए ब्याज़ पर जुटा कर पुलिस को दिए, तब जाकर वे छोड़े गए।

एए ने जाँच दल को बताया कि, ''मैं स्कूल जाती थी पर इस प्रकरण के बाद मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। पहले मैं सिर्फ़ इतवार को कबाड़ उठाने जाया करती थी। पर अब पुलिस को देने के लिए ब्याज पर लिए गए उधार को चुकाना है। इसलिए अब मैं रोज़ कबाड़ बीनने जाती हूँ।''

गंगा नगर

पृष्ठभूमि

इस इलाके के अधिकांश निवासी गोंड समुदाय के हैं। तकरीबन 150 गोंड परिवार हैं। वे यहाँ 30 बरसों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। पुरुष दिहाड़ी मज़दूर हैं, उनको महीने में 8 से 10 दिन काम मिलता है। महिलाएं घर पर रहती हैं। सरकारी मकानों के निर्माण के समय ठेकेदार द्वारा अलग–अलग गाँवों से, जहां वो खेतिहर मज़दूर थे, उनको इस स्थान पर लाया गया। तब उनको ज़मीन का पट्टा दिया गया लेकिन अब बस्तियों के सुधारीकरण के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत इन लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। यहाँ कोई जनसुविधाएं भी नहीं हैं, इसीलिए ये लोग सड़कों पर शरण लेने को बाध्य हैं और सड़क पर रहने के कारण इन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

यहाँ पास में बच्चों का एक अस्पताल है जहां तक लोगों की पहुंच है। हर प्रकार की बीमारी के लिए लोग प्राइवेट अस्पताल जाना पसन्द करते हैं लेकिन जब बिमारी लम्बे समय तक चले और कर्ज़ा बढ़ने लगे तब वे सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। बहुत सारे बच्चे सड़क पार के प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में दर्ज हैं लेकिन जल्दी ही स्कूलों से बाहर हो जाते हैं या पढ़ाई छूट जाती है। अभिभावकों की शिकायत है कि शिक्षक कक्षा में सोते रहते हैं और मौज–मस्ती व खरीदारी के लिए चले जाते हैं। स्कूलों में शिक्षण का कोई काम ही नहीं होता। ईडब्लूएस विद्यार्थियों का एक अलग कमरा है जहां तीन सालों तक उन्हें एक ही कक्षा में रखा जाता है।

पास में एक सार्वजनिक पार्क भी है लेकिन जब बच्चे उस पार्क में खेलने जाते हैं तो पुलिसकर्मी उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। जब बच्चे बाज़ार जाते हैं तो पुलिस उनकी तलाशी लेती है और उनके पास का सारा सामान ले लेती है। जब कभी भी बच्चे खेल रहे होते हैं या बाज़ार जाते हैं तो गंगा नगर के रहवासी होने के कारण उनका उत्पीड़न किया जाता है।

सड़क के दूसरी ओर मध्यमवर्गीय परिवार हैं। उनको बस्तियों से समस्या है और वो लगातार प्रशासन से इनकी शिकायत करते हैं। पड़ोस में जब भी कभी कोई चोरी होती है तो गंगा नगर के बच्चों को ही बदमाश समझा जाता है और पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। जाँच समिति के गंगा नगर जाने से एक दिन पहले, पुलिस ने एक बच्चे को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 14 से 16 साल के 4–5 किशोर पुलिस के निशाने पर हैं और लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स के भोपाल संस्करण में 3 सितम्बर 2015 को प्रकाशित खबर में कहा गया कि गंगा नगर निवासी 14 और 15 साल के दो लड़कों को कमला नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में उठा लिया और तीन दिनों तक अवैधानिक तरीके से रोककर रखा और किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने से पहले क्रूर यातनाएं (जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक आदि शामिल हैं) दी गईं। यह भी लगता है कि लड़कों पर दूसरे अपराधिक मामले भी थोप दिए हैं क्योंकि उन लोगों ने अपराध स्वीकार लिए हैं।

युवाओं ने यह भी साझा किया कि जब वो समूह में खड़े होते हैं या नुक्कड़ पर बतियाते हैं तो पुलिस वाले आकर उन्हें घर जाने और आसपास न दिखने को कहते हैं। सड़क पर खड़े किसी भी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

लोगों की आपबीती

डीडी छह वर्ष का है और सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वह रोने लगा। उसके साथ हुए पुलिस हादसे के असर का भय अभी भी काफी है। उसे यह भी डर है कि पुलिस उसे कभी भी उठा लेगी और फिर से मारपीट करेगी।

वह सड़क पर जा रहा था तभी दो पुलिसवालों ने उसे बुलाया, वह डर गया और दौड़ना शुरू कर दिया, पुलिसवाले भी उसके पीछे भागे और शाम 5 बजे उसे पकड़ लिया। वे उसे एक घर में ले गए जहां चोरी हुई थी। वहां उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद मोटर साइकिल पर गंगा नगर, उसकी बस्ती में लेकर आए और वहां घुमाकर पूछा कि कौन–कौन इस चोरी में शामिल है उसका नाम बताओ। **डीडी** इतना डरा हुआ था कि उसने **ईई** (10–11 साल), **एफएफ** (12 साल) और **जीजी** (10–11 साल) का नाम बता दिया। **डीडी** समेत सभी लड़कों को उठाया गया और पुलिस थाने ले जाया गया। सबको 4–5 घंटे पुलिस थाने में रखा गया और पीटा गया।

जब समुदाय की महिलाएं उन्हें छुड़वाने के लिए थाने पहुंचीं तो पुलिस लाठियां लहराती हुई उनके पीछे भागी। जब **डीडी** के पिता थाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। बाद में लड़कों को छोड़ दिया गया और **डीडी** के पिता को हिरासत में ले लिया गया। **डीडी** के पिता को उस समय रिहा किया गया जब उनके नियोक्ता ने आकर उनके अच्छे व्यवहार की गारंटी दी। बस्ती की महिलाएं उस घर भी गईं जहां चोरी हुई थी और उसके मालिक से मिलकर यह भी अपील की कि उस चोरी से उनका कोई सरोकार नहीं है लेकिन मालिक ने उनको अनसुना कर दिया।

एचएच 12–13 साल का है, उसका भी पुलिस ने उत्पीड़न किया था। उसकी माँ **आईआई** ने जाँच समिति से बात की। दो महीने पहले, शाम को पांच बजे पुलिस ने **एचएच** को यह आरोप लगाकर कि उसने मंदिर की दान–पेटी चुराई है, तब उठा लिया जब वह पेड़ की डंगालें काट रहा था। उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और इस कारण उसकी पीठ पर चोट के निशान भी थे।

जब समुदाय के लोग रात 8 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे **एचएच** को चाइल्ड लाइन भेज दिया गया था और उसे यह धमकी भी दी गई कि यदि वह यह गम्भीर घटना किसी को बताएगा तो उसको पीटा जाएगा। उसने किसी से एक भी शब्द नहीं कहा। रातभर उसे चाइल्ड लाइन के ऑफिस में रखा गया पर सुबह फिर से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। (एस.जे.पी.यू. ने सुबह 8.15 बजे उसको ले जाने की एंट्री की जबकि उसे एक दिन पहले रात 9.55 बजे दाखिल किया गया था।) पुलिस उसे गंगा नगर बस्ती में लेकर आई उन लोगों की शिनाख्त के लिए जो अपराध में शामिल थे। मारपीट के डर से उसने **जेजे** का नाम ले लिया लेकिन **जेजे** की माँ ने उसे ले जाने नहीं दिया। **एचएच** को वापस पुलिस

स्टेशन लाया गया और उसी दोपहर रिहा कर दिया गया। इसके बाद **आईआई** ने **एचएच** को छत्तीसगढ़ उसकी नानी के घर भेज दिया जहां वह चाय की दुकान चला रहा है। समुदाय ने जिलाधीश के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की थी जिसके बाद प्रक्रिया के तहत एक बैठक भी हुई लेकिन आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

14 साल के **केके** को पिछले 12 महीनों में चार बार गिरफ्तार किया गया। जब भी वह पार्क में खेलता, उसे उठा लिया जाता है और कमला नगर थाने में ले जाया जाता है। उसको मारा–पीटा जाता है और बिजली के झटके दिए जाते। एक मामले में उसे 3 दिन तक थाने में रखा गया और अगली बार 8 दिन तक।

पुलिस स्टेशन में रहने के दौरान उसे आधी रात को ही जगाया जाता और मारपीट की जाती। उसे अलग–अलग जगहों पर ले जाया गया था जहां चोरी की घटनाएं हुईं और मामला दर्ज किया गया और ज़ोर–ज़बरदस्ती से अपराध स्वीकार करने का दबाव डाला गया। उससे बार–बार पूछा गया कि उसने चोरी किए गए सामान का क्या किया और चोरी के कितने मामलों में वह शामिल है। हर रात पुलिसवाले नशे में धुत्त होकर उन सबके साथ मारपीट करते जो पुलिस थाने में होते।

एक बार तो उसे सोना चुराने के आरोप में उठाया गया और 11 दिनों तक थाने में रखा गया। **केके** के साथ मारपीट की गई, बिजली के झटके दिए गए और उसके गुप्तांग और गुप्तांग के बालों को खींचा गया – उसकी टीशर्ट उतार दी गई, उसके सिर के बालों को शेव कर दिया गया और दीवार से रगड़ा गया। **केके** को बैट्री पर बैठने को कहा गया और उसे बिजली के झटकों से डराया गया। उसे बैट्री के उन हिस्सों को छूने का दबाव डाला गया जिनमें करंट बह रहा था। इसी तरह के एक मामले में कमला नगर थाने में उसकी गुदा में पाइप घुसेड़ा गया।

इन सब मामलों में केवल एक बार पुलिस थाने की तरफ से उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया और जहांगीराबाद प्रेक्षण गृह में भेजा गया। बाकी मामलों में उसके परिवार वालों को रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ा।

एक अन्य लड़के **एलएल** को भी इसी तरह उत्पीड़ित किया गया। हर बार **केके** को पकड़ा जाता और गंगा नगर लाया जाता और अपराध में शामिल लोगों की शिनाख्त के लिए घुमाया जाता। **एलएल** को लगा कि दबाव के चलते **केके** ने **एलएल** और **एमएम** का नाम लिया। तब से ही, जब वो इलाके में होते तो पुलिस वाले उनसे पूछते कि वो कहां के हैं और जिस पल वो गंगा नगर कहते, उन्हें धर लिया जाता।

16 साल का **एनएन** दिहाड़ी मजदूर है। उसे तीन बार पुलिस ने धर लिया। पहली बार, उसे घुटने के बल बैठाकर पीटा गया और पुलिस वालों के जूतों तले उसी उँगलियां कुचली गईं। **एनएन** को एक दिन थाने में रखा गया और 700 रूपए के एवज़ में छोड़ा गया। एक महीने बाद ही उसे एक सुबह सावन पूजा के

लिए फूल तोड़ते समय पुलिस ने धर लिया और थाने में उसके साथ मारपीट की गई। दोपहर 1.30 बजे उसे 500 रूपए देने की एवज़ में रिहा कर दिया गया। ढाई महीने बाद गीतांजलि अस्पताल के पास जब वह अपने दोस्तों के साथ चाउमीन खा रहा था तब पुलिस ने दोस्तों समेत उसे धर लिया। उन सबसे गांजा बेचने को लेकर पुलिस ने सवाल किए, पर पुलिस उनको थाने लेकर नहीं गई। बच्चों की शिकायत है कि जब भी वो मध्यम वर्गीय कॉलोनी में स्थित पार्क में खेलने जाते हैं तो पुलिस उनको धमकाती है। खेल के दौरान जब गेंद किसी घर में चली जाती है और लड़के उसे लेने जाते हैं तो उन पर उठाईगिरी का आरोप मढ़ दिया जाता है और पुलिस बुला ली जाती है।

एमएम पुलिस द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के कारण लगातार सदमे में रहता है।

ओओ की उम्र 16 साल की है और पुलिस ने उसको 5–6 दफा प्रताड़ित किया है। कुछ दिनों पहले, जब वह और उसके दोस्त फिल्म देखने जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया, तमाचे जड़े और तलाशी ली। पुलिस ने उनके 200 रुपए झपट लिए और उनका पीछा किया। जब कभी भी वो घास काटने जाते हैं तो न्यू मार्केट थाने वाले उनको परेशान करते हैं। जब वो केटरिंग के अपने काम से लौटते हैं तो पुलिस उनका वह खाना भी छीन लेती है जो बचा खाना उन्हें घर ले जाने के लिए मिलता है। जब भी **ओओ** को पुलिस उठा ले जाती है तो उसकी माँ उसे छुड़वाती है।

एम.पी. नगर

पृष्ठभूमि

यह शहर का व्यस्त व्यावसायिक इलाका है। यहाँ कई परिवार बाज़ार में बन्द दुकानों के सामने रहते हैं और जीवित रहने के लिए कचरा बीनने का काम करते हैं। जाँच समिति के सदस्यों से बातचीत के दौरान रहवासियों ने बताया कि दुकानदारों को उनके यहाँ रहने से कोई समस्या नहीं है। लोग या तो पेड़ों के नीचे टपरे में रहते हैं या फिर बन्द दुकानों के सामने वाले भाग में।

यहाँ पर किसी तरह की कोई जनसुविधा नहीं है। रहवासी नज़दीक के पार्क में या फिर पास के नाले में शौच करने को बाध्य हैं।

जाँच समिति ने गौर किया कि एम.पी. नगर में बच्चों में एक तरह का अलगपन दिखता है। कुछ बच्चे परिवार के साथ रहते हैं, कुछ घर से भागे हुए हैं, कुछ अनाथ हैं। पुलिस द्वारा क्रूरता और जबरिया वसूली यहाँ होने वाली रोज़ की घटना है।

लोगों की आपबीती

11 बरस के **पीपी** को पुलिस ने एक महीने पहले जनता क्वार्टर के पास से तब उठाया जब वह कचरा बीनकर लौट रहा था। उसे पकड़ने का आरोप यह था कि उसने चार बिजली के मीटर चोरी किए हैं। **पीपी** ने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन उसे पुलिस थाने ले जाकर उल्टा लटकाकर पीटा गया।

क्यूक्यू की उम्र 12 साल की है। जाँच समिति को उसने उस घटना के बारे में बताया जो दो–तीन महीने पहले घटी थी। दो पुलिस वाले आए और **क्यूक्यू** और उसके सौतेले भाई से कहा, हम तुम्हें रूपए, खाना और कपड़े देंगे। सो वो फौरन पुलिस के साथ चले गए। लड़कों को चाइल्ड लाइन ऑफिस ले जाया गया।

जब पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता तो उसने कहा कि उसे पता है चाइल्ड लाइन ऑफिस के बारे में, वहां सब जगह 1098 लिखा है।

उनको दो दिनों तक चाइल्ड लाइन ऑफिस में रखा गया फिर एक आश्रम में ले जाया गया। **क्यूक्यू** और उसके भाई को एक गैर–सरकारी संस्था की सहायता से उनकी मौसियों ने छुड़वाया। **क्यूक्यू** ने जानकारी दी कि एक बार पहले भी पुलिस ने उसको उठा लिया था। पुलिस ने उसका विवरण दर्ज किया था और उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी रख ली थी।

16 साल का **आरआर** सरगम टॉकीज़ के पास **एसएस** के साथ पैदल जा रहा था, तब उसके दोस्त के पापा ने उसे नए ऑटो रिक्शा में बिठा लिया। तभी पुलिस ने उनको रोका। उस समय **आरआर** को पता चला कि वह चोरी का ऑटो था। उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। **आरआर** और **एसएस** से पूछताछ की गई, उन्होंने पुलिस को बताया कि क्या हुआ था लेकिन पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको लॉकअप में डाल दिया। वो कहां हैं इसके बारे में पुलिस ने उनके परिजनों को कोई सूचना नहीं दी। जब **आरआर** दो दिन तक घर वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ ने एमपी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में **एसएस** को छोड़ दिया गया। **एसएस** ने **आरआर** के परिवार वालों को बताया कि क्या हुआ है। जब **आरआर** की माँ थाने गई तो **आरआर** की रिहाई के लिए पुलिस को 2000 रुपए दिए। पुलिस ने **आरआर** के खिलाफ कम दफा वाला आरोप दर्ज किया और जब एसडीएम ने उसको ज़मानत दी तो **आरआर** की माँ को और 500 रुपए खर्च करने पड़े।

लॉकअप में रहने के दौरान **आरआर** को पुलिस वाहन धोने, पुलिस थाने के फर्श को पोंछा लगाने, थाना प्रभारी का ऑफिस, लेट्रिन और बाथरूम साफ करने को बाध्य होना पड़ा। पुलिस का कहना था कि यदि वो यह सब काम करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, पर पुलिस ने उसको छोड़ा नहीं। **आरआर** ने कहा कि थाने में पुलिस वाले ही शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। जो भी हार जाता है वह अपना गुस्सा लॉकअप में बन्द लोगों पर

निकालता है। **आरआर** ने कहा कि उसे पहले भी एम.पी. नगर थाने, करोंद थाने, बाग सेवनिया थाने से सम्बन्धित पुलिस वालों ने पकड़ा है। एक बार जब वह अपने घर के पास एक दोस्त के साथ कैरम खेल रहा था तब पुलिस आ गई और पुलिसवालों ने कहा कि उसने मारुति कार का कांच तोड़कर चोरी की है। **आरआर** के लगातार मना करने और यह कहने के बावजूद कि वो उस समय घर पर था, उसको एम.पी. नगर थाने ले जाया गया। उसने कहा कि एम.पी. नगर पुलिसवाले खतरनाक हैं – खासकर दो ऑफिसर (जिनका उसने नाम बताया) जो लोगों को उल्टा लटकाकर फिर उनकी बेल्ट, लाठियों, लात–घूसों से पिटाई करते हैं।

एसएस 16 साल का है और अपनी बहन के साथ सड़क पर रहता है। उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है और माँ हाल में टीबी के कारण चल बसी। पिछले मॉनसून में पुलिस के हाथों दी गई यातना को उसने बयां किया। बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित मंदिर में चोरी हुई, दान पेटी समेत सब कुछ चोरी हो गया था। सादे कपड़ों में पुलिस वाले आए और दबाव डालने लगे कि उन्होंने ही यह डकैती की है। **एसएस** ने कहा कि वो इस वारदात में शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसे और एक अन्य लड़के को एम.पी. नगर थाने ले जाया गया और 13 दिनों तक वहां रखा गया। **एसएस** ने जाँच समिति को जानकारी दी, हमारी दोनों टांगों के बीच डंडा फंसाकर मारा, दोनों कानों के बीच गिट्टी रगड़ी और प्लास से नाखून निकाल लिए। पुलिस ने उन लोगों से थाने में झाड़ू भी लगवाई। पुलिस ने उन लोगों से जुर्म कबूलने को कहा लेकिन लड़कों ने कुछ किया ही नहीं था सो उन्होंने कबूल नहीं किया। जब थाने में किसी काम से कोई सामाजिक कार्यकर्ता आया तो उसके हस्तक्षेप के बाद कुछ को रिहा कर दिया गया और कुछ को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया।

एक बार उसे हबीबगंज पुलिस थाने वालों ने गैस सिलेंडर चोरी के आरोप में उठा लिया। तीन से चार दिनों तक उसे थाने में रखा गया जहां उसके साथ मारपीट की गई, उसे नमक खिलाया गया, हथकड़ी लगाई गई और डंडे से पीटा गया। **एसएस** ने कहा, सड़क पर रहने वाला इंसान गैस सिलेंडर का क्या करेगा। उस समय, एक और लड़का (जिसका परिवार नहीं था और जो उनके साथ सड़क पर रहता था) को बच्चों के सामने बुरी तरह से पीटा गया जिससे **एसएस** को विश्वास हो गया कि वो लड़का पुलिस के हाथों मारा गया है। क्योंकि पुलिस यातना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से वो नहीं लौटा।

एसएस ने बताया कि उसको और उसकी बहन को पांच से छह बार पुलिस ने पकड़ा और 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए की राशि देने पर रिहा कर दिया। उसने बताया कि उसे जहांगीराबाद थाने, तलैया थाने और बाग सेवनिया थाने में भी रखा गया।

15 साल के **टीटी** का कहना था कि उसे और उसके भाई को मोबाइल चोरी के आरोप में एम. पी. नगर थाने ले जाया गया था। रात 12 बजे जब वो सो रहे थे तब पुलिस एक लड़के के साथ आई। पुलिस ने उस लड़के से पूछा कि

चोरी किसने की है तब उसने **टीटी** की ओर इशारा किया। **टीटी** अपने भाई के साथ रहता था सो पुलिस **टीटी** को भाई समेत थाने ले गई। पुलिस थाने में चार लड़के पहले से ही थे। पुलिस स्टेशन में **टीटी** को बिजली के झटके दिए गए और छड़ी से बेरहमी से पीटा गया। बाकी बच्चों को उनके परिजनों ने रिहा करवाया। चूंकि इसके भाई के पास पैसे नहीं थे सो उनको शौचालय और बाथरूम साफ करने पड़े। उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उनको प्रेक्षण गृह ले जाया गया। **टीटी** के मेडीकल परीक्षण में चोटों की पुष्टि हुई जिसके परिणामस्वरूप (उसके अनुसार) दो पुलिसवालों को सस्पेंड किया गया।

राजीव नगर

पृष्ठभूमि

राजीव नगर को सब लोग "गंदी बस्ती" के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर पारधी समुदाय और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।

यहाँ 8वीं कक्षा तक का एक शासकीय स्कूल है जहां अधिकतर बच्चे दर्ज हैं। कुछ बच्चे नेहरू नगर के शासकीय स्कूल (टंकीवाली स्कूल) में पढ़ाई करते हैं। इस समुदाय के सीमित बच्चे ही स्कूल जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे पन्नी बीनने का काम करते हैं। स्कूलों में इन बच्चों का तिरस्कार किया जाता है क्योंकि वे पारधी समुदाय के हैं और गंदी बस्ती के रहने वाले हैं।

राजीव नगर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियों और महिलाओं को शौच के लिए बाहर खुले में ही जाना पड़ता है, उजाला होने से पहले। इस वक्त भी पुलिस वाले अपना डंडा नहीं छोड़ते। किसी भी उम्र की महिलाओं के कुल्हों पर डंडा मारते हैं। कई बार लड़कियां समझ नहीं पातीं कि उनके पीछे से कोई आ रहा है और गिर पड़ती हैं।

यहाँ के बच्चों में गुटका खाने की आदत ज़्यादा है, 7 से 8 साल तक के उम्र के बच्चों में भी। बच्चों ने बताया कि वे जब पन्नी बीनने जाते हैं, उस वक्त कई बार उनके सामने बहुत गंदी चीज़ें आती हैं जिससे घिन होती है। इसीलिए गुटका खाने की आदत में पड़ जाते हैं।

यहाँ हर बच्चे के पास एक भयावह अनुभव था हमसे साझा करने के लिए। बच्चों के मन में ऐसी प्रताड़नाओं की छाप बैठ चुकी है और उनके अनुसार बस्ती में कोई ऐसा घर नहीं जो प्रताड़ित नहीं किया गया हो या जहां से पुलिस ने पैसे न उगाहे हों। इसके चलते सारे लोग कर्ज़ में हैं।

लड़कियों ने बताया कि जब वो पन्नी बीनने जाती हैं तो पुलिस वाले उनसे गाली–गलौच करते हैं और यौनिक भाषा का उपयोग करते हैं, यौनिक ताने कसते हैं। इन मसलों में टीटी नगर थाना बहुत बदनाम है। पुलिसवाले थाने में ले जाकर उनसे कहते हैं – ''एक बार दे दे, तुझे छोड़ देंगे।'' हिंसा और प्रताड़ना के लिए क्राईम ब्रांच भी बहुत महशूर है। लेकिन क्योंकि बस्ती कमला नगर थाना के पास है, तो वहां के अनुभव ज़्यादा आते हैं।

राजीव नगर की 16 वर्षीय टिंटीबाई ने पुलिस प्रताड़ना के चलते 19 जनवरी 2008 को खुदकुशी कर ली थी।

लोगों की आपबीती

राजीव नगर में रहने वाली **यूयू** 17 वर्ष की है। उसकी शादी राजीव नगर में ही एक लड़के से हुई है। **यूयू** सुबह 6 बजे पी एन टी चौराहे के आसपास कूड़ा बीनने जाती है। उसने बताया कि वह कूड़ा बीनने इसलिए जल्दी जाती है क्योंकि नहीं तो नगर निगम के कर्मचारी सारा कूड़ा साफ कर देते हैं। **यूयू** बताती है जिस समय महिलाएं और बच्चे कूड़ा बीनने के लिए निकलते हैं उस समय पुलिसवाले राजीव नगर में ही खड़े रहते हैं। पुलिसवाले उनके साथ अपशब्द कहते हैं और पकड़ कर थाने ले जाते हैं, मारपीट करते हैं। पैसों के लिए मार–पीट करते हैं।

यूयू ने बताया कुछ दिनों पहले की एक घटना है। गाँव का 20 साल का लड़का **वीवी** एक रात भोपाल आ रहा था जहां उसकी बहन रहती है। वह बस स्टॉप से पैदल अपने बहन के घर राजीव नगर आ रहा था। कमला नगर थाने के पुलिसवालों ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने उसके परिवार से 5000 रुपयों की माँग की। असहाय परिवार वालों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे पुलिसवालों को 5000 रुपये दे सकें। उन्होंने जैसे–तैसे 2500 रुपये नगद की व्यवस्था की लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।

उस घटना के तीन दिन बाद **वीवी** के परिवारवालों ने न्यायालय में अपील की कि उनके लड़के को पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से कैद किया है और उसे पेश किए जाने की माँग की। उसे पेश करने की मजबूरी के चलते पुलिसवालों ने अपने बचाव में न्यायालय में यह साबित करने की कोशिश की कि **वीवी** ने बाइक चोरी की है। **वीवी** को कमला नगर थाने में चार दिन रखा और उसके बाद जेल पहुंचा दिया। यह घटना जाँच दल के आने के 5 दिन पहले की है। **वीवी** जेल में था इसलिए जाँच समूह उससे बात नहीं कर पाई।

यूयू ने अपनी सात साल की बहन **डब्ल्यूडब्ल्यू** के बारे में बताया – कोई दो महीने पहले वह उस वक्त पुलिस द्वारा उठा ली गई जब वह अपने समुदाय के तीन बच्चों के साथ बीनने गई थी। पुलिस ने उनमें से एक किशोरी लड़की को धर लिया जबकि बाकी बच्चे तितर–बितर हो गए। बाद में बच्चों को लगा कि एक अकेली लड़की पुलिस के पास सुरक्षित नहीं है, सो वे लौट गए और खुद को भी 'पकड़वा दिया'। **डब्ल्यूडब्ल्यू** को 15 दिन तक सुधार गृह में रखा गया।

एक्सएक्स नामक 37 वर्षीय महिला ने जाँच समूह को बताया कि पुलिस वाले उनका उत्पीड़न करते हैं, उन्हें मारते हैं। जब वह सुबह 6 बजे बीनने के लिये जाती है, पुलिसवाले सुबह बीनने जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि उन्हें बीनने के लिए 7 या 8 बजे निकलना चाहिए। बीस दिन पहले घटी घटना के बारे में महिला ने बताया जब पुलिसवालों ने सबसे पहले डंडे से पीटा, फिर उसे कमला नगर पुलिस थाने ले जाया गया था। पुलिस थाने में उससे पैसे की माँग की और जब उसने पैसे दे दिये तब उसे छोड़ दिया गया। **एक्सएक्स** ने

बताया कि इस प्रकार की घटना इससे पहले फरवरी 2015 माह के आसपास घट चुकी है।

30 वषीर्य महिला **वाईवाई** ने भी **एक्सएक्स** द्वारा बताई ऊपर दी गई घटना के बारे में बताया। उसने दोहराया कि पुलिसवाले बस्ती के लोगों पर ज़ोर देते हैं कि वे सुबह 7 बजे ही बीनने के लिये जायें। इससे पहले अगर वे बीनने जायेंगे तो उनको पकड़ा जायेगा और मारा भी जायेगा। और अगर कमला नगर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया तो छूटने के लिए पैसे देने होंगे। **वाईवाई** ने बताया कि उसके बेटे अक्सर कूड़ा बीनते पुलिस द्वारा धर लिये जाते थे इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे सुरक्षित यह है कि बेटों को स्कूल भेजा जाये।

ज़ेडज़ेड 32 साल की है। उसके 10 साल के बेटे **एएए** को टी टी नगर थाने में एसजेपीयू और चाइल्ड लाइन के स्टाफ की उपस्थिति में क्राईम ब्रांच की पुलिस ने मारा। पति की मौत के बाद **ज़ेडज़ेड** ने कबाड़ चुनने का काम बंद कर दिया। उसका एक बेटा कभी–कभार यह काम करता है और वह जितना कमाता है उसी से परिवार चलता है। एक बार जब वह गाँव गई हुई थी, उसके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि उसका बेटा **एएए** और एक पड़ोसी का बेटा **बीबीबी** (8 वर्ष) को पुलिस उठाकर ले गई थी जब वह बस्ती की दुकान से कुछ खरीद रहा था। **ज़ेडज़ेड** तुरंत वापस भोपाल आई। उसी दौरान बच्चों को इलाके के कमला नगर थाने में ढूढने के बाद पड़ोसी ने उन्हें टी. टी. नगर थाने में बने एसजेपीयू के कार्यालय में ढूंढ लिया।

जब महिलायें बच्चों को छुड़ाने एसजेपीयू गईं तो बच्चों को और मारा गया। (और अगले दिन रिश्तेदारों की मदद से छोड़ा गया।) दोनों माँओं को रोका गया; **ज़ेडज़ेड** को पुलिस द्वारा मारा गया और बंद कर दिया गया। पुलिस ने उसके घर में छानबीन की और उसके खुद के ज़ेवरात (पायल आदि) ज़ब्त कर उसे चोरी का माल बताया। उसके उपर चोरी के दो केस लगाये गये; एक टी. टी. नगर थाने से और दूसरा क्राईम ब्रांच से।

ज़ेडज़ेड अब थाने से बरी है। वह थाने में 5–6 दिन रही थी। जज के सामने उसको पेश किये बिना ही उसे क्राईम ब्रांच से कमला नगर थाने के सुपुर्द कर दिया गया। हर रात उसे महिला थाना ले जाते थे और सुबह वापिस कमला नगर थाने लाया जाता था। पुलिस ने उसको बार–बार नंगा करके पीटा। हिंसा इतनी ज़बरदस्त थी कि महिनों बाद आज भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है।

सीसीसी 14 वर्षीय लड़की है जो कभी स्कूल नहीं गई है। **सीसीसी** ने बताया कि जैसे ही पुलिस पारधी समुदाय के किसी इंसान को देखती है तो पैसे माँगती है। उसको याद नहीं कि उसे पहली बार कब उठाया गया था और किस कारण से। पुलिस उनको बिना किसी कारण के उठाती ही रहती है, सिर्फ इसलिये कि वे पारधी हैं। दो महीने पहले जब वो पी एन टी चौराहे पर वेल्डिंग की दुकान के सामने पन्नी बीन रही थी और वहीं से कील जैसे लोहे के छोटे टुकड़े उठाये तो पुलिस ने आकर आरोप लगाया कि उसने चोरी की है। उसकी बोरी खाली करवाई, कोई भी चोरी का माल

नहीं मिलने पर भी उसे कमला नगर थाने लेकर गये। चोटी वाला पंडित पुलिस अफसर था। उसने गाली–गलौच करी और बोला कि तुम लोग बड़े चोर हो। फिर थाने की सीढ़ियों के नीचे रखे कबाड़ में से चोटी वाले पंडित ने लोहे की छड़ निकाली और बोला कि यह तुम्हारी बोरी से निकला है। **सीसीसी** के बाप को बुलाया गया और मना करने के बाद भी मजबूरन पुलिस वाले को 3000 रुपये देने पड़े।

सीसीसी ने बताया कि पुलिस ने उसे सातवीं बार उठाया है लेकिन अभी भी कोई केस दर्ज नहीं है। यह पूछने पर कि कभी पुलिस द्वारा पीटी गई है, उसने कहा नहीं दो थप्पड़ ही मारे थे। टी टी नगर थाने मे एक बार उसकी माँ उसको छुड़वाने आई थी तो पुलिस वालों ने उसके पेट में लात मारी जिसके चलते उसकी माँ को बच्चेदानी का इलाज करवाना पड़ा और चार हज़ार रुपये खर्च हो गये।

डीडीडी 16 वर्ष की है। वह कमला नगर पुलिस द्वारा दो तीन बार पकड़ी गई है और टी. टी. नगर पुलिस द्वारा एक बार। उसने कहा कि जब वो बीनने गई थी आसपास के एक मकान मालिक ने बोला कि उसने घर में घुसने के लिये ताला तोड़ा है और उसको मारा। घर मालिक ने पुलिस को फोन किया जो आकर उसे कमला नगर थाने लेकर गये। **डीडीडी** ने पुलिसवालों को बहुत बोला कि वह किसी के घर में डाका डालने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कान संस्था से किसी के आने पर ही उसको घर जाने दिया। यह सब होने के बाद भी पुलिस शाम को उसके घर आकर 1500 रुपये लेकर गई। इसके पहले एक बार और कमला नगर थाने से जुड़ी पुलिस ने उससे 1000 रुपये छीने थे। उसने बताया कि उसको कमला नगर थाने में पीटा गया है लेकिन टी. टी. नगर थाने में नहीं। **डीडीडी** ने यह भी बताया कि पुलिस बाले हर सप्ताह बस्ती में आकर लोगों को परेशान करते हैं।

इइइ 16 साल की है। वह **डीडीडी** की चचेरी बहन है। उसको भी पुलिस ने 5–6 बार अराधना नगर से उठाया है। पुलिस उसको हर बार मार–पीटकर थाने में ले गई है। करीबन एक महीने पहले **इइइ** को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था और उसे दस दिन के लिये संरक्षण गृह में रखा गया।

एफएफएफ 15 साल की है। उसने बताया कि कबाड़ चुनते वक्त पुलिस की गाड़ी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया था। पुलिस ने उसे गाड़ी में ही डण्डे से मारना शुरू कर दिया। **एफएफएफ** को कमला नगर थाने ले जाया गया। करीबन 8 बजे तक कबाड़ी वाला पुलिस थाने आया और 2000 रुपये देकर उसे छुड़ाया। उसने बताया कि रोज़ पुलिस किसी न किसी को कबाड़ बीनते टाईम उठाती ही है।

जीजीजी (14 साल) को कबाड़ बीनते वक्त दो पुलिस वालों ने उठाया था और कमला नगर पुलिस थाने ले गये। वहां उसे घूसा मारा और डण्डे से भी मारा जिसके चलते उसके माथे से खुन निकलने लगा। **जीजीजी** को तभी छोड़ा गया जब उसके माँ–बाप ने आकर को पुलिस वालों को 2000 रुपये दिये। चोट के चलते **जीजीजी** को इलाज करवाना पड़ा।

एचएचएच 16 साल का लड़का है। डेढ़ महिने पहले उसको बाज़ार से उठाया और बाग सेवनिया थाने में एक महीने के लिये रखा। पुलिस ने उसकी माँ से दो लाख रुपयों की माँग की। उसने पुलिस को 70,000 रुपये दिये जिसके चलते **एचएचएच** को छोड़ दिया गया। **एचएचएच** ने बताया कि अगर पैसे की माँगों को पूरा नहीं किया जाता तो उठाये गये लोगों पर झूठे केस थोप दिये जाते हैं। **एचएचएच** ने बताया कि थाने में उसको लगातार प्रताड़ित किया गया; उसको ऐसे मारा गया जिससे बाहरी चोटों के निशान नहीं बने। उन्होंने तार लगाकर **एचएचएच** को बिजली के शॉक दिये। पुलिसवालों ने उसको यह बोलते हुये गाली दी की सब पारधी चोर होते हैं। उसको लॉक–अप में और 15–20 लोगों के साथ रखा था। पुलिसवाले पुलिस थाने में रात को पिये हुये होते थे। जिस थाने में **एचएचएच** था, 8–9 साल की उम्र के कुछ 10–12 बच्चे पुलिस थाने में रखे गये थे।

आईआईआई 11 साल का लड़का है। करीबन 25 दिन पहले वह पुलिस द्वारा उठाया गया था। उसको पाईप और बेल्ट से मारा गया। **आईआईआई** स्कूल नहीं जाता, अपनी बुआ के साथ पन्नी बीनने जाता है और प्रतिदिन 50 या 100 रुपये कमाता है।

जेजेजे 12 साल का है और छठवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। वह इतवार के दिन कबाड़ चुनने जाता है। अभी तक उसको पुलिस द्वारा नहीं उठाया गया है लेकिन एक कन्सट्रक्शन साईट के पास के लोगों ने एक बार उसकी पिटाई की थी।

केकेके 13 साल का है और स्कूल नहीं गया है, कबाड़ चुनने का काम करता है। आखिरी बार जब पुलिस ने उसे उठाया था तब पुलिस वाले ने उसको आटा चक्की के बेल्ट से मारा था। उसने बताया कि उनके पास कोई कबाड़ हो या ना हो, पुलिस उनको उठाकर मारती है। एक बार जब वह पी एन टी चौराहे पर चाय पी रहा था, पुलिसवाले ने केवल इसी आधार पर आकर मारा कि वह पारधी पहचाना गया। जब **केकेके** से पूछा गया कि क्या पुलिस वाले गाली देते हैं, तो उसने कहा – नहीं, बस पुलिसवाले इतना ही कहते है, **''पारधी पारधी तेरी माँ की फाड़ दी''।**

एलएलएल (18 वर्ष) ने जाँच दल को बताया कि जब भी वो कोटरा बाज़ार की तरफ जाता है या पिक्चर देखने जाता है तो पुलिस वाले उसे उठा लेते हैं। पूछे जाने पर कि उसको क्या लगता है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है, उसने कहा – जब पुलिस को पता चलता है कि कोई पारधी है तो कोई और कारण की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भाषा में बात करते हुए पारधीयों को पहचाना जाता है।

एलएलएल शादी के मौसम में वेटर का काम करता है। काम कई बार रात को एक–दो बजे तक खत्म होता है जब केटरर मज़दूरो को बचा हुआ खाना बांटता है। **एलएलएल** घर पर पैदल आता है क्योंकि देर रात तक बसें नहीं चलतीं। रास्ते में अगर पुलिसवाले मिल जायें तो वे बोलते हैं, ''चोरी करके वापिस लौट रहे हो''। उसके इस जवाब पर कि वो वेटर का काम करता है, उसे बचा हुआ खाना दिया

गया है, पुलिस वाले ताना मारते हैं, ''पारधी कब से काम करने लग गए?'' **एलएलएल** ने कहा कि उसको सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है कि वह मेहनत का काम कर रहा है, तब भी पुलिसवाले उसे बेइज़्ज़त करते हैं और उठा लेते हैं।

एमएमएम (13 साल) कभी स्कूल नहीं गई है। उसने पिछले साल की घटना बताई जब वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ धार गई थी। पुलिस उनके यहाँ आये और बोला कि खुले उजाले में तुम लोगों ने सात गाँवों में डकैती करी है। **एमएमएम** के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारी और घर व सामान की जाँच कर लो और केस की छानबीन कर लो। पुलिस ने छानबीन की और कुछ नहीं पाया। तब भी 15 लोगों को पुलिस थाने ले जाया गया जिसमें **एमएमएम** भी शामिल थी। जब **एमएमएम** ने कहा कि वह भोपाल से रिश्तेदारों को मिलने आई है, तो उसकी बात नहीं मानी गयी। उनको थाने में मारा गया और बोला गया कि अगर वे चोरी को नहीं कबूलेंगे, तो मार दिये जायेंगे। उन लोगों को बेल्ट और डण्डों से मारा गया और सबके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज की गई। सबको धार जेल में रखा गया। **एमएमएम** को भी, जबकि वह नाबालिग थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उसकी पहली माहवारी जेल में शुरू हुई।

जाँच दल ने जब **एमएमएम** को बताया कि बच्चों को जेल में नहीं रखा जा सकता, उसका जवाब था, ''हमारी बात कोई नहीं सुनता''। मुस्कान के हस्तक्षेप के बाद ही **एमएमएम** को विदिशा के निरीक्षण गृह में भेजा गया। उसने बताया कि वह कुछ ही दिन पहले विदिशा से छूटी है।

ऐसी कई और घटनायें थीं। **एनएनएन** (16 से 18 वर्ष के बीच) ने बताया कि बहुत समय के बाद उसने वापिस कबाड़ चुनना शुरू किया है। पहले उसने पुलिस की प्रताड़ना के कारण बंद कर दिया था। लेकिन अभी फिर से जैसे ही वह घर से बोरी लेकर निकला, एक दिन पुलिस ने उसको उठाया और बुरी तरीके से मार–पिटाई की। उसने बताया कि उसको छुड़वाने के लिये उसकी माँ को दस हजार रुपये खर्च करने पड़े।

संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें

कमला नगर पुलिस थाना

जाँच टीम ने कमला नगर थाने का दौरा कर बाल कल्याण अधिकारी अमर सिंह (दो सितारा) से मुलाकात की। श्री सिंह ने बताया कि उन्हें लगभग एक साल पहले ही बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कचरा बीनने वालों के साथ पुलिस उत्पीड़न के बारे में पूछताछ करने पर श्री सिंह ने कहा कि ''पारधी अपराध करते हैं और इसीलिए वे सुबह 4 बजे अपने घरों से बाहर होते हैं।'' उन्होंने कहा कि पूरी पारधी जनजाति अपराधी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर दिन 10 से 12 बड़ी चोरियां होती हैं और माता–पिता अपने बच्चों को चोर बना रहे हैं जबकि पिता घर पर रहता है और दारू पीता है। उन्होंने आगे कहा कि कचरा बीनना केवल एक बहाना है ताकि चोरी करने के लिए खाली घरों को तलाशा जा सके। श्री सिंह ने कहा कि पुलिस बच्चों को सिर्फ सलाह देती है और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं करती है। पुलिस बच्चों के जीवन में सुधार करने की कोशिश कर रही है। *''बच्चे कचरे में हैं, पुलिस उनको ज़मीन पर लाना चाहती है।''* पर मुस्कान जैसे गैर–सरकारी संगठन उनके काम में हस्तक्षेप करते हैं और पुलिस को ''बदनाम'' करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि परामर्श में उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था।

मुख्यमंत्री का दौरा नज़दीक होने के कारण थाना प्रभारी इंस्पेकटर कुरैशी काफी व्यस्त थे इसलिए वे जाँच टीम के साथ थोड़ी–सी ही बात कर पाए। श्री कुरैशी का मानना था कि कई समुदाय पारम्परिक रूप से अपराध से जुड़े थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, *''पारधी समाज के बच्चे चोरी करते हैं।''* उनके अनुसार पारधियों की वजह से इलाके में अपराध काबू से बाहर था। श्री कुरैशी ने ये आरोप भी लगाया कि पारधी परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उन्हें चोरी करने में लगाते हैं। उनका मानना था कि चोरी करने के मकसद से ही वे सूरज निकलने से पहले अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। जब हमने ध्यान दिलाया कि कचरा बीनने

वाले हर जगह अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, कचरा उठाए जाने से पहले और कि ऐसे भी उच्च अपराध वाले इलाके थे जहां एक भी पारधी नहीं रहते थे, तो उनके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था।

निशातपुरा पुलिस थाना

जाँच टीम ने इंस्पेकटर राजीव जंगले से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कई झुग्गी बस्तियों के आसपास होने के कारण निशातपुरा एक बदनाम थाना था। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के न टूटने तक और डंडे के बिना पुलिस प्रभावी नहीं हो सकती है। डंडे के बिना पुलिस का काम नहीं होता है। उनकी चाइल्डलाइन और मुख्य रूप से किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में शिकायत थी कि वे बच्चों में सुधार को पक्का करने के लिए उनके विचारों में ठीक रूप से बदलाव नहीं करते हैं। श्री जंगले बार–बार अपराध में बच्चों की भूमिका के बारे में बोल रहे थे और कि मोबाइल फोन की मौजूदा संस्कृति व माता–पिता की व्यस्तता बच्चों को अपराध की ओर धकेल रही थी। लेकिन साफ–साफ पूछने पर भी उन्होंने चर्चा में पारधियों का नाम नहीं लिया। (*''बच्चों का केस है तो बहुत परेशानी होती है'' या ''भोपाल में 25 फीसदी अपराधी बच्चे हैं'' या ''बच्चों के केस तो स्लम से ही होते हैं''।)*

इंस्पेकटर के साथ हुई बातचीत में समझ आया कि उनका किशोरों के प्रति पहले से ही पक्षपाती नज़रिया था। उन्होंने टीम से जानना चाहा कि क्या हम अब भी 18 साल की उम्र तक किशोर मानते हैं जबकि उम्र वाले कानून में बदलाव हो रहा था।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)

भोपाल में एसजेपीयू जून 2009 से बरकरार है। शुरुआत में यह इकाई क्राइम ब्रांच, एम.पी. नगर थाना परिसर में स्थित थी। इस साल की शुरुआत में इसे टी.टी. नगर पुलिस थाना में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह इंस्पेकटर आर.एस. बुदना की निगरानी के तहत काम करती है जो कि टीम के दौरा करने के समय वहां मौजूद नहीं थे। जाँच टीम ने चन्द्रशेखर छपरे (सहायक पुलिस निरीक्षक), जो कि मार्च 2014 से एसजेपीयू के साथ हैं, और आर.एस. बोरोना (पुलिस हवलदार) से बातचीत की। भोपाल में एसजेपीयू को आरम्भ नामक गैर–सरकारी संस्था द्वारा मदद दी जाती है, जो कि एसजेपीयू के ऑफिस से भोपाल में चाइल्डलाइन भी चलाती है। उसके प्रतिनिधि भी एसजेपीयू के ऑफिस में बैठते हैं। वे जाँच टीम के एसजेपीयू से बातचीत के समय वहां पर मौजूद थे।

एसजेपीयू ऑफिस 24 घंटे चलता है यानी पुलिस और आरम्भ दोनों पूरा समय मौजूद रहते हैं। श्री छपरे ने बताया कि देर शाम या रात में पकड़े गए किशोर एसजेपीयू ऑफिस में ही रात

बिताते हैं और सुबह 11.00–11.30 के लगभग किशोर न्याय बोर्ड का कामकाज शुरू होने पर इन्हें उसके समक्ष पेश किया जाता है। जाँच टीम को बगल का एक कमरा दिखाया गया जिसमें बिस्तर लगे हुए थे और जहां बच्चों को रखा जाता है।

यह पूछने पर कि हर रोज़ कितने बच्चों को लाया जाता है, टीम को 3 या 4 की संख्या बताई गई लेकिन देखरेख रजिस्टर में कई दिनों तक ऐसी कोई उपस्थिति नहीं दिखी थी। एसजेपीयू कई रजिस्टर रखता है – उनमें से एक रजिस्टर बेमन से टीम को दिखाया गया। उस रजिस्टर में तारीख और समय का क्रमानुसार रिकॉर्ड रखा गया था कि कब बच्चे को उनके पास लाया गया था, और क्या उस बच्चे को देखरेख व संरक्षण की ज़रूरत थी, जैसे कि परित्यक्त बच्चा, या विधि–विवादित किशोर। कई बच्चे देर रात एसजेपीयू ऑफिस पहुंचते हैं। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने वाले बच्चों को अक्सर सुबह जल्दी छोड़ दिया जाता है, जैसा कि रजिस्टर में नज़र आ रहा था। रजिस्टर पढ़ने पर श्री छपरे को स्वीकार करना पड़ा कि पुलिस बच्चों को एसजेपीयू ऑफिस से बहुत जल्दी छोड़ देती है लेकिन वो उसके लिए कोई ठोस कारण बताने में नाकाम रहे।

श्री छपरे ने एसजेपीयू ऑफिस में क्राइम ब्रांच से जुड़ी पुलिस द्वारा राजीव नगर के दो लड़कों की पिटाई करने की घटना से इन्कार कर दिया। यह घटना 14 अप्रैल 2015 की है, जब **ज़ेडज़ेड** और **एएए** (रपट में पहले इसका विवरण देखें) को एक को मंदिर के बाहर से और एक को दुकान से क्रमशः सुबह 8 और 11 बजे क्राइम ब्रांच से जुड़ी पुलिस द्वारा उठाया गया था और वहां से एम.पी. नगर पुलिस थाना ले जाया गया था। यहां उन्हें उन अपराधों को कबूल करने के लिए पीटा गया था जो उन्होंने नहीं किए थे। सायं 4.30 बजे उन लड़कों को एसजेपीयू ऑफिस ले जाया गया। लड़कों के घरवालों को बच्चे कहां हैं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वे उनकी तलाश में विभिन्न पुलिस थाने गए और अंततः उन्हें एसजेपीयू ऑफिस भेजा गया। एसजेपीयू पहुंचने पर उन्हें पहचान के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया। घर से उन दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने के बाद जब वे वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्राइम ब्रांच से जुड़ी पुलिस एसजेपीयू और चाइल्डलाइन (आरम्भ) के सामने लड़कों को पीट रही थी – उनके कानों पर मुक्के मारे गए, उन्हें बालों से पकड़कर खींचा व मारा गया, और पूछा गया कि चोरी वाला माल किसे दिया है। उसके बाद **ज़ेडज़ेड** को राजीव नगर ले जाया गया और उसके घर की तलाशी ली गई, उसकी माँ की पायलों को छोड़कर चोरी का एक भी सामान नहीं मिला। बस्तीवालों के सामने ही **ज़ेडज़ेड** को फिर पीटा गया।

श्री छपरे ने दावा किया कि उनके पास इस तरह के पुलिस उत्पीड़न की शिकायत केवल मुस्कान द्वारा ही दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुस्कान के बारे में नकारात्मक बात की। पुलिस ने जो भी कहा आरम्भ के प्रतिनिधियों ने उसका समर्थन किया और यह भी दावा किया इस तरह

का कोई भी उत्पीड़न नहीं हुआ है। श्री छपरे ने अवैध हिरासत में रखने के लिए ज़िम्मेदार पुलिसवालों के निलंबन/अनुशासनात्मक कार्यवाही और और इस तरह की पहले हो चुकी घटनाओं में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लोगों के लिए मुआवज़े के भुगतान के बारे में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के निर्देशों की जानकारी होने से भी इन्कार किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की टी.टी. नगर पुलिस थाने के दौरे की विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।

यह सबसे चौंकाने वाली बात थी कि एक ऐसा संगठन, जो बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा और सुरक्षा देने के लिए गठित आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है, महज़ पुलिस की कही गई बात को तोते की तरह दोहरा रहा था। मुस्कान से सीधे शिकायत के बाद भी आरम्भ के प्रतिनिधियों ने बच्चों से मिलने की कोई कोशिश नहीं की।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)

जाँच टीम ने भोपाल की बाल कल्याण समिति का दौरा किया। सीडब्ल्यूसी एक हफ्ते में तीन बार बालिका गृह, लड़कियों के लिए राज्य द्वारा संचालित बाल घर, में बैठती है। इसके बैठने का समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक है। जाँच टीम के दौरे के दौरान अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित दो सदस्य मौजूद थे। बातचीत के दौरान महसूस हुआ कि सीडब्ल्यूसी पुलिस के द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली हिंसा व उत्पीड़न के मामलों से और उनकी अवैध हिरासत के बारे में वाकिफ नहीं है। अध्यक्ष ने माना कि अगर सीडब्ल्यूसी के सामने ऐसे मामलों को लाया जाता है तो वे संज्ञान लेंगे। बहरहाल, सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य ने साझा किया कि उनकी नज़र में लाए गए ऐसे 12 से 13 मामले हैं जिनमें कि संज्ञान लिया जा रहा है। हालांकि, सीडब्ल्यूसी ने ऐसे मामलों में अपने आप कभी सुओ मोटो संज्ञान नहीं लिया है।

* * *

जाँच के बाद के महीनों में, हमारी टीम ने ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई। बच्चा अभी भी सीडब्ल्यूसी की निगरानी में था। लेकिन उसका उपहास ही किया गया। सीडब्ल्यूसी ने 6 साल के बच्चे की हथेलियों को दबाकर देखा कि निशान हैं या नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहे थे पर उसे दर्द था। उसका अभी भी उपहास किया जा रहा था और बताया गया कि वह झूठ बोल रहा था। कोशिशों के बावजूद, इस प्रकार के व्यवहार को बदला नहीं जा सका है।

* * *

किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)

जाँच टीम ने किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों से जहांगीराबाद स्थित लड़कों के निरीक्षण घर में उनके बैठने की जगह पर मुलाकात की।

प्रधान मजिस्ट्रेट की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है।

जेजेबी से इकट्ठी की गई जानकारी थी कि उनके समक्ष पेश किए गए बच्चों में से अधिकांश ग्रामीण इलाकों या बस्तियों से थे, पर किसी एक खास समुदाय से नहीं। उनके समक्ष पेश किशोर मामलों में दिखाई नहीं दिया कि पारधी बच्चे उल्लेखनीय ढंग से अपराध में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि उनके समक्ष बार–बार पेश किए जा रहे बच्चे अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण अपराध में लिप्त थे। जाँच टीम ने जेजेबी के सदस्यों से चर्चा कर यह जानकारी एकत्र की कि पुलिस जेजेबी के सामने बच्चों से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज़, जैसे कि उम्र तय करने का प्रमाण, प्रस्तुत नहीं करती है और यह भी कि पुलिस उनके आदेशों/निर्देशों का पालन करने की ज़हमत नहीं उठाती है। उनका मानना है कि एसजेपीयू को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, पर दुर्भाग्य से, एसजेपीयू मामलों की मौजूदा स्थिति को बेहतर करने की दिशा में चिंतित नहीं लगती है।

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने मेडिकल जाँच के आदेश दिए या यह साफ ज़ाहिर होने पर कि पुलिस की निगरानी में बच्चे के साथ मार–पिटाई हुई है, पुलिस को फटकार लगाई है। लेकिन उन्होंने ऐसे किसी मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उनके समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

इसके अलावा, पुलिस रिकॉर्ड बता रहे थे कि बच्चे को कानून के मुताबिक समय पर जेजेबी के समक्ष पेश किया गया था इसलिए उनके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे जिसके आधार पर वे पुलिस के बयान को चुनौती दे सकें।

इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जाँच टीम के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक ही बच्चे को विधि–विवादित किशोर के रूप में बार–बार उनके सामने लाया गया। अगर किसी बच्चे को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस की ये प्रवृत्ति होती है कि उस पर और दूसरे चोरी के आरोप भी मढ़ दिए जाएँ, वो भी जब बच्चे के खिलाफ कोई शंका नहीं होती है।

पुलिस सबसे ज़्यादा जोखिमग्रस्त बच्चों को लक्ष्य बनाती है, जैसे कि जहां माँ अकेली अभिभावक है, लड़की है। एक कार्यकर्ता ने कहा कि अगर पुलिस शारीरिक रूप से यौनिक हिंसा

नहीं भी करती है तो भी ''आंखें सेंक लेते हैं''। अकेली माँ के मौजूद होने पर वे देखकर ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वही होती है जिसे बार–बार आना पड़ता है। नशीले पदार्थ सूंघने वाले बच्चे भी आसान लक्ष्य होते हैं। ऐसा अक्सर होता कि बच्चे को 5 से 6 दिन के लिए पुलिस थाने में रखा जाता है ताकि अपराध कबूल करवाने के लिए उस पर दबाव डाला जा सके। ऐसे मामलों में जहां पर एक सम्पन्न परिवार के किसी व्यक्ति पर पर्याप्त शक होता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर एक कमज़ोर बच्चे को उठा लिया जाता है और समाज को लगता है कि न्याय हो गया।

पुलिस के सामने बात करने में बच्चे इतना डरते हैं कि वे उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते हैं। पर यह ताड़ पाना कि कोई समस्या है आसान होता है क्योंकि बच्चा लगातार अपनी नज़र साथ जाने वाली पुलिस से जेजेबी की ओर शिफ्ट करता रहता है।

ज़िला बाल संरक्षण इकाई

महिला सशक्तीकरण अधिकारी को ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने एक महीने पहले ही कार्यभार सम्हाला है। वह अपने मुख्य काम को प्राथमिकता देते हैं। डीसीपीओ के अतिरिक्त कार्यभार पर ध्यान उसके बाद जाता है यद्यपि उनकी तन्ख्वाह आईसीपीएस फंड से ही आती है।

जब उन्हें पुलिस के हाथों बच्चों का उत्पीड़न किए जाने के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें अभी हाल ही में ये अतिरिक्त काम सौंपा गया है, इसलिए स्थिति के बारे में वे बहुत जागरूक नहीं हैं। हालांकि, उनकी नज़र में इस प्रकार की हिंसा का मामला आने पर वे उसकी जाँच–पड़ताल करने के लिए तैयार थे।

द्वितीयक दस्तावेज़ों का अवलोकन

अखबार (दै. भास्कर, 21.6.2015)

भोपाल के अखबारों (जून 2015) की कतरन न्यायिक हिरासत में एक 19 वर्षीय युवक की रहस्यमयी मौत को व्यक्त करती हैं। जेलर ने साफ तौर पर कहा कि वह पुलिस द्वारा घायल अवस्था में सौंपा गया था, और परिवारवालों ने भी क्राइम ब्रांच थाना में हिरासत के दौरान अत्यधिक उत्पीड़न किए जाने की बात कही और जब जबरन धन वसूली नहीं कर पाए तो फिर टी.टी. नगर थाना पुलिस को सौंप दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दर्ज कराई गई शिकायतें (2014–15)

जाँच टीम ने पिछले एक साल के दौरान शहर के विभिन्न पुलिस थानों में बच्चों और/या वयस्कों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में आईजी या डीजीपी को की गई 4 शिकायतों के बारे में पढ़ा। एक मामले में, राजीव नगर के एक व्यक्ति को कमला नगर थाने में दो हफ्तों से ज़्यादा समय तक पीटा गया और केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास याचिका दायर करने पर ही उसे अदालत में पेश किया गया। ऐसे ही एक अन्य मामले में, एक पारधी आदमी को तीन हफ्तों तक गांधी नगर थाना में हिरासत में रखा गया और आईजी के पास शिकायत करने पर ही उसे मिसरोद थाना से अदालत में पेश किया गया।

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा टी.टी. नगर पुलिस थाने का आकस्मिक दौरा (2009)

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा टी.टी. नगर पुलिस थाने की एक आकस्मिक दौरा रपट खुलासा करती है कि पारधी समुदाय के बच्चों को पीटा गया और लगभग 4 दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया। मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधिकारियों को भेजे गए अपने पत्र संख्या 1431/10 (संलग्न सहित) में कहा कि 15 जनवरी 2009 को जब उनके प्रतिनिधियों ने टी.टी. नगर पुलिस थाने का दौरा किया, तो वहां पर 3 नाबालिग लड़कियों और 2 लड़कों को बंदी पाया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए डी.के. बसु दिशानिर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन था। आयोग की टीम को चोटों के निशान दिखाए गए और उन

बंदी बनाए गए बच्चों ने बताया कि उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया था। आयोग का मानना था कि अगर हम बिना अपराध वाले समाज की उम्मीद करते हैं तो पुलिस को, खुद, पहले सुधार से गुज़रना चाहिए। पुलिस कचरा बीनने वाली नाबालिग लड़कियों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रही है, उनसे घूस लेती है और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। कथित पत्र में ये भी ज़िक्र किया गया है कि पुलिस समाज के एक निश्चित वर्ग की गरीबी और जोखिम का फायदा उठा रही है और कि अगर राज्य में यह स्थिति है, जो उनकी जाँच से नज़र में आया है, तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति कितनी बदतर होगी।

मानवाधिकार आयोग ने पारधियों की बस्तियों में जाकर उनसे भी मुलाकात की, जहां महिलाओं ने बताया कि वे कचरा नहीं बीनना चाहती हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं है। हर समय जब वे अपना माल बेचने के लिए बाज़ार जाती हैं, तो पुलिस उन्हें उठा लेती है और पुलिस थाना ले जाती है, और पैसे देने पर उन्हें छोड़ देती है। महिलाओं ने कहा कि वे पैसे दे देती हैं क्योंकि वे वकीलों और अदालतों की दलदल में नहीं फंसना चाहतीं।

जाँच टीम ने मानवाधिकार आयोग द्वारा 15 अक्तूबर 2010 को पारित आदेश पढ़ा, जिसमें टी.टी. नगर पुलिस थाने के उमेश तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और कथित पुलिस थाना में अवैध हिरासत में रखे गए सभी लोगों को 5000 रुपए मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पिटाई के कारण आई चोटों को ''नकारने वाली रिपोर्ट'' देने में पुलिस और डॉक्टर सांठ–गांठ कर लेते हैं।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग ने फरवरी 2009 में भोपाल में आयोजित अपनी जनसुनवाई के बाद पुलिस उत्पीड़न का ज़िक्र करते हुए कहा था और अनुशंसा की थी (जैसा कि 12 फरवरी के हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है), ''यह बच्चों के अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन था और अधिकारियों को पुलिसवालों की पहचान करने के निर्देश दिए और कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू करें।''

टिंटीबाई आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की जाँच रपट (2008)

जाँच दल ने 23.8.2008 दिनांक की रिपोर्ट का अध्ययन किया। श्री आर.के. मिन्नारे, डी.एस.पी. मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की जाँच पुलिस प्रताड़ना के कारण एक जवान लड़की को 19.01.2008 को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होने के आरोप की शिकायत (केस नं 12120/भोपाल/08) के आधार पर की गई थी। जाँच पड़ताल के दौरान बस्तियों के रहवासियों, पुलिस अधिकारी, कॉलोनियों के मध्यमवर्गीय परिवारों और एन.जी.ओ. के लोगों को मिलाते हुए 30 लोगों से बात की गई।

रिपोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँची, "प्रकरण सदर की सम्पूर्ण जाँच पश्चात् मुझ जाँचकर्त्ता अधिकारी द्वारा पाया गया कि, दि. 19.01.2008 को प्रातः 06:15 बजे, थाना–कमलानगर भोपाल के ए.एस.आई. श्री एम.एल. यादव हमराह स्टाफ के पारधी युवती कु. टिन्टी बाई 15 वर्ष तथा उसकी भाभी श्रीमति हीरोइन 19 वर्ष को कचरा बीनते समय, चोरी करने की नीयत से

घूमते पाये जाने के शक में, जनता द्वारा पकड़कर सौंपे जाने पर थाना लाया गया था। थाना पर इन युवतियों के साथ ए.एस.आई. यादव द्वारा मारपीट की गई, कुमारी टिन्टी बाई की छाती पर हाथ डालकर शारीरिक शोषण का प्रयास किया तथा जेल भेजने की धमकी देकर, उनसे रिश्वत तय की तथा रिश्वत की राशि 500 रूपये लेकर उन्हें छोड़ा गया। कुमारी टिन्टी बाई जो पूर्व में भी पुलिस द्वारा झूठे चोरी के मामले में रखकर प्रताड़ित की जा चुकी थी, उस दिन उसने घर पहुँचकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मैं उप–पुलिस अधीक्षक आर.के. मिनारे इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, दिनांक घटना को ए.एस.आई श्री एम.एल. यादव द्वारा उक्त युवतियों को बिना किसी कार्यवाही तथा उनके परिवार को इत्तला न देते हुए 6–7 घंटे तक अवैधानिक परिरोध में रखकर, उनका शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण कर प्रताड़ित किया तथा उसमें अवयस्क लड़की कु. टिन्टी बाई के साथ ज्यादती कर उसको आत्महत्या के लिये प्रेरित किया। अतः ए.एस.आई एम.एल. यादव को धारा–342/354/306 ता.हि. का दोषी पाता हूँ।

थाने पर लाई गई युवतियों में कुमारी टिन्टी बाई 15 वर्ष, एक अवयस्क लड़की थी। जिसे थाने पर रखने तथा पुछताछ में ए.एस. आई. यादव द्वारा नियमों का पालन न करते हुए उनका उल्लंघन करने पर उनको उसके मानवाधिकारों के हनन का भी दोषी पाता हूँ।" (पेज 54)

* * *

"जब कोई बालक पुलिस के प्रति ऐसे कथन देता हैं तो देशभक्ति जनसेवा में लगे पुलिस होने के कारण मज़बूर होकर सोचना पड़ता है कि इन पुलिस वालों से तो पारधी ही ठीक हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं, ओढ़ने–बिछाने के कपड़े नहीं, खाने को नहीं तथा कचरा बीनकर, मेहनत मज़दूरी कर खा पी रहे हैं और ऐसी बदतर हालत में रहकर अच्छा सोचते हैं। परन्तु शासन जिन्हें वर्दी, हाथ में डण्डा तथा कानून ने शक्तियां, रहने का साधन, वेतन दे रही हैं, फिर भी वे देशभक्ति जनसेवा के नाम पर उन गरीब–निर्धनों पर अत्याचार कर उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं।" (पेज 50)

* * *

निष्कर्ष

ये निष्कर्ष विभिन्न बस्तियों के रहवासियों और प्रासंगिक विभागों के प्रतिनिधियों के साथ जाँच टीम की बातचीत के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियों, देखे गए दस्तावेज़ों और उनके अपने अवलोकनों पर आधारित हैं।

राज्य एजेंसियों, खासकर के पुलिस, का व्यवहार लोगों के संवैधानिक और अन्य अधिकारों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। साथ ही यह अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों यानी गैर–भेदभाव, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शारीरिक/मानसिक हिंसा से सुरक्षा, जीने के पर्याप्त मानक, शिक्षा का अधिकार, मूल निवासी होने का अधिकार, जिसका भारत साझेदार है, का भी उल्लंघन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के अधिकारों पर समझौता–पत्र की धारा 37, जिसे भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को स्वीकार किया था, कहती है, ''किसी भी बच्चे के साथ यातना या अन्य प्रकार का क्रूर व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या सज़ा नहीं दी जाएगी'' और ''किसी भी बच्चे को उसकी अपनी आज़ादी से अवैध या मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।''

1. पुलिस अत्याचार और उत्पीड़न

बच्चों और बड़ों ने खासकर बच्चों, लड़कियों और लड़कों दोनों पर पुलिस उत्पीड़न की एक के बाद एक कई घटनाएँ स्पष्ट रूप से बताईं। दौरा की गई बस्तियों में बमुश्किल ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसने पुलिस के द्वारा अत्याचार या उत्पीड़न का सामना नहीं किया था। पुलिस के अवैध या अनुपयुक्त व्यवहार के कारण लोगों की स्थिति बिगड़ रही है और वे लगातार तनाव और आतंक के साये में रह रहे हैं।

अवैध रूप से हिरासत में रखना एक आम बात है। पुलिस बस्ती के लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बेतरतीब ढंग से उठाकर पुलिस थाने ले जाती है, वहाँ पर यातनाएँ देती है और सिर्फ उनकी रुपयों की माँग पूरी होने पर ही उन्हें छोड़ती है। पुलिस आधी रात में, कभी–कभी नशे की हालत में भी, घरों में घुस जाती है और घर के लोगों को उठा ले जाती है। लड़कियों और लड़कों, उनमें से कुछ बमुश्किल 6 साल के होते हैं, के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।

उठाए गए लोगों को कई घंटों तक, कभी–कभी कई दिनों तक, पुलिस थाने में रखा जाता है – उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और न ही उन्हें मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना लोगों को पुलिस हिरासत में रखना संविधान की धारा 22 (2), जो एक मौलिक अधिकार है, का पूरी तरह से उल्लंघन है। धारा 22 (2) कहती है कि, ''गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए हरेक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।'' धारा 22 (2) का सख्ती से पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार की न्यायिक जाँच को सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार हुई है या नहीं। उठाए गए लोगों को जानबूझकर मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं होता है। उन्हें ''इस प्रकार की गिरफ्तारी के कारणों'' के बारे में भी नहीं बताया जाता है, इस प्रकार धारा 22 (1) के तहत उनके मौलिक अधिकार को नकारा जाता है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखे गए लोगों को मुआवज़ा दिया है। अवैध हिरासत संविधान की धारा 21 का भी उल्लंघन करती है, ''किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जाएगा'' – ऐसा कोई भी लागू कानून नहीं है जो इस प्रकार की हिरासत की अनुमति देता हो।

जब बस्तीवालों ने इस प्रकार की अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने की ताकत जुटाई तो पुलिस द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जैसा **पी** के साथ किया गया था।

बस्तीवालों, खासकर बच्चों, को पुलिस द्वारा कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, मसलन बिजली के झटके देना, उल्टा लटकाकर पीटना, डंडे से मारना, पिन चुभाना। हिरासत में यातना देना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है और मानव गरिमा के लिए एक अपमान है। राज्य एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अपने अधिकारियों के लिए ज़िम्मेदार है। यह देखा गया है कि नियमित रूप से ज़्यादा हिंसा होने के कारण लोगों के बीच हिंसा का एक मानकीकरण हो गया है – पुलिस द्वारा थप्पड़ मारने को हिंसा मानते ही नहीं हैं।

हालाँकि यह बात बार–बार नहीं कही गई, फिर भी जाँच दल को प्रत्यक्ष यौन हिंसा की कुछ घटनाओं का पता चला। जैसे, गुदा में लोहे का छड़ डालना, औरतों की छाती को छूना, रिहाई के बदले में सेक्स की माँग करना आदि। यौनिक गली–गलौच तो बहुत आम हैं।

सामान्य टिप्पणी नं. 13 (2011), बाल अधिकारों पर समिति के द्वारा तैयार किया गया *हिंसा के सभी रूपों से मुक्त रहने का बच्चों का अधिकार* कहता है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करना राज्य का कर्तव्य है: ''बच्चों के खिलाफ हिंसा की व्यापक घटनाओं को संबोधित करना और उन्हें दूर करना संविधान के तहत राज्यों का एक दायित्व है।'' यह पुलिसवालों को

राज्य के एक कार्यकर्ता और पुलिस थानों को एक ऐसी जगह के रूप में पहचानता है जहाँ बच्चों को हिंसा का सामना करना होता है।

यातना रोकने के लिए बच्चे उन अपराधों को कबूल लेते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं हैं, और इस प्रकार एक आपराधिक मामले को हल कर लिया जाता है! सामान्य टिप्पणी नं. 13 कहती है कि ''अवैध या अवांछित व्यवहारों के लिए बच्चों को न्यायिक रूप से सज़ा देने के लिए उन अपराधों को कबूल कराने के उद्देश्य से बच्चों के खिलाफ'' हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है।

पश्चिम बंगाल बनाम डी. के. बसु में सुप्रीम कोर्ट कहता है, ''हवालात में यातना व मौत सहित हिरासती हिंसा कानूनी शासन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। होना यह चाहिए कि कानून से न केवल कार्यकारी शक्तियाँ मिलें बल्कि कानून द्वारा उन्हें सीमित भी किया जाना चाहिए। हिरासत में हिंसा चिंता का विषय है। यह तथ्य इसे और संगीन बना देता है कि यह उन लोगों द्वारा की जाती है जिनसे नागरिकों के संरक्षक होने की अपेक्षा की जाती है। इसे वर्दी की आड़ में और पुलिस थाने या हवालात की चहारदीवारी की रोब में किया जाता है, इस वजह से पीड़ित पूरी तरह से असहाय हो जाता है। पुलिस और कानूनों को लागू करने वाले अन्य अफसरों की यातना और शोषण से एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक मुक्त समाज में गहरी चिंता का विषय है।''

जबरन वसूली की माँग से संतुष्ट न होने पर उठाए गए लोगों पर कई आपराधिक मामले थोप देना एक आम बात है। पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा जबरन वसूली की माँग की जाती है। परिवार के सदस्य उसे कम कराने की जद्दोजेहद करते हैं और फिर उनकी माँगों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं।

हवालात में शौचालयों की सफाई कराना, फर्श की झाड़—बुहार कराना, पुलिस वाहनों की धुलाई कराना जैसे काम बच्चों से कराए जाते हैं। ये इस वाएदे पर कराए जाते हैं कि अगर वे ये काम करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें सिर्फ पुलिस की आर्थिक माँगों के पूरा होने पर ही छोड़ा जाता है।

सामान्य टिप्पणी नं. 13 प्रभावी उपायों के लिए प्रयास करती है ''जिनमें पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और निवारण तंत्र व अपील के लिए स्वतंत्र शिकायत तंत्र तक पहुँच शामिल हैं।''

जाँच टीम का मानना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कई अभिवेदन करने के बावजूद स्थिति बदली नहीं है और मानवाधिकारों का ये उल्लंघन बेरोकटोक जारी है।

पुलिस भी बस्ती में रहने वालों की शिकायतों के प्रति उदासीन है जैसा **एफ** के कथन में दिखाई देता है। **एफ** की लापता बेटियों को ढूँढने के लिए पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। तीन साल बाद लड़कियों का पता लग पाया लेकिन पुलिस की वजह से नहीं।

पुलिस के हाथों नियमित रूप से उत्पीड़न होने के कारण बस्तीवाले विवादों के मामलों में उन तक पहुँचने से डरते हैं और समुदाय के भीतर ही हल ढूँढने को मजबूर होते हैं। जाति पंचायतों, जिनके पास समुदाय जाता है, के उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इन पंचायतों में श्रेणीबद्ध पितृसत्तात्मक मूल्य मजबूती से कायम हैं।

लोकतांत्रिक संस्थानों से संपर्क करने पर वे भी उचित प्रतिक्रिया करने में नाकाम रहे हैं। केवल संगठित गहन कोशिश ही इस प्रकार की स्थापित प्रचलित परंपराओं को बदल सकती है।

2. अधिसूचित जनजाति और पारधी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह

दौरा की गई कई बस्तियों में पारधी आबादी की एक बड़ी संख्या थी। ईरानी समुदाय एक घुमन्तु जनजाति है। जाँच टीम ने अमन कॉलोनी में बसे ईरानी समुदाय के लोगों से बातचीत की।

1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के निरस्त हो जाने के बावजूद पारधियों को ''अपराधियों'' के रूप में बदनाम करना आज़ाद भारत में भी जारी है। इस तरह से बदनाम करके पारधियों को अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। पारधियों का सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी पैदा करने वाले और पुलिसवालों द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक हस्तक्षेप में बाधा पहुँचाने वालों के रूप में देखा जाता है।

ऐतिहासिक रूप से अधिसूचित जनजातियों, घुमन्तु और पारधी समुदायों को उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि के कारण बदनामी का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे प्रमुख ब्राहमणवादी संस्कृति को ठेस पहुँचती थी। पारधी भारत की मूल आबादी का हिस्सा थे। इस सांस्कृतिक बदनामी के आपराधिक बदनामी में तब्दील हो जाने की वजह से ये लोग लगातार पुलिस और आम समाज के निशाने में रहते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बावजूद वे रोज़गार प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि पढ़ाई से कुछ हल नहीं होने वाला है। उनमें से कई खुदरा धंधे में लगे हैं जबकि अन्य परिवार अपनी आजीविका के लिए कचरा बीनने के काम पर निर्भर हैं।

इस आपराधिक बदनामी की वजह से पारधियों को शक की निगाहों से देखा जाता है और रोज़मर्रा के काम – समोसा खरीदना, बाज़ार जाना, सार्वजनिक पार्कों में खेलना – के दौरान पुलिस द्वारा सताया जाता है। सार्वजनिक अपमान तो हर रोज़ का ही है। एक पारधी की पहचान पर पुलिस मौखिक रूप से उसके और उसके समुदाय के साथ दुव्यर्वहार करती है, ''तुम पारधी लोग चोरी करते हो।''

मध्यम वर्गीय कॉलोनियों के रहवासी अपने घरों के आसपास पारधियों को देख लेने पर पुलिस में शिकायत कर देते हैं। कई बस्तीवालों ने इस तरह के रहवासियों के द्वारा मारपीट या नज़रबंद किए जाने की बात की है। पुलिस की बेरुखी इस प्रकार की अति सतर्कता को बढ़ावा देती है।

ये जुल्म पारधी समुदाय के लोगों को हाशिए पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, दूसरे लोगों से घुलने–मिलने की बजाय वे अपने लोगों के साथ रहना पसन्द करते हैं, इस कारण से विभाजन और बढ़ता जा रहा है। उनकी बस्तियों के लिए, जैसा कि उनके लिए भी होता है, गंदी बस्ती जैसे अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

बच्चों समेत बड़े लोगों पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को कई सम्बंधित अधिकारियों की नज़र में लाया गया है – पुलिस महानिदेशक (भोपाल), पुलिस महानिरीक्षक (भोपाल), टी टी नगर पुलिस थाना प्रभारी, मध्य प्रदेश महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग – फिर भी उत्पीड़न बेरोकटोक जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को लगता है कि वे जो चाहते हैं वैसा लगातार करते रह सकते हैं और उससे बचे रह सकते हैं क्योंकि किसी को भी पारधियों की परवाह नहीं है और ऐसी ही धारणा समाज में भी फैली हुई है।

उपरोक्त को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि गांधी नगर के रहवासियों का मानना है कि ''व्यवस्था उनके पूरे समुदाय को एक दुश्मन के रूप में देखती है।''

(3) आपराधिकरण का माहौल

सरकार जानबूझकर की गई कूटरचना के चलते पारधी जैसे कुछ समुदाय के सदस्यों के आपराधिकरण को जारी रखने की दोषी है और ऐसी कई गतिविधियों को भी आपराधिक बनाती है जो उनके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, जैसे कचरा–रद्दी बीनना। इसी की नकल करते हुए सिविल सोसायटी भी, आज वो जैसी भी है, सरकार के इस रवैये को प्रतिबिंबित करती है।

एक ओर तो सरकार लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करने में असफल रही है, वहीं दूसरी ओर, जब लोग किसी प्रकार से जीवनयापन की कोशिश करते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। जिन बस्तियों का दौरा किया गया वहाँ के कुछ लोग छोटे–मोटे धंधे, जैसे चश्मे बेचना, अर्ध–कीमती रत्न वगैरह बेचना, करके आजीविका कमाते हैं, वहीं अधिकांश लोग कचरा बीनने और रद्दी इकट्ठी करने का काम करते हैं। जो लोग कचरा बीनने जाते हैं, वे सुबह–सुबह जब काम पर निकलते हैं, उसी समय यह आरोप लगाकर पुलिस उन्हें उठा लेती है कि वे चोरी करने निकले थे। यह उनसे पैसे ऐंठने का एक बहाना है। जो थोड़ा–बहुत पैसा वे कचरा बीनकर कमाते हैं वह और उसके अलावा काफी सारा पैसा इन लोगों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने में पुलिस को चला जाता है ताकि वे लोग अगले दिन कचरा बीनने जा सकें और अपने परिवार का पेट भर सकें। इससे कई लोगों को लाभ पहुँचता है और वे तत्काल भारी ब्याज पर कर्ज दे देते हैं ताकि लोगों को लंबे समय तक कर्ज के शिकंजे में फँसाया जा सके।

इस हताशाजनक ज़िंदगी ने वयस्कों को शराब के नशे में धकेला है और 7–7 साल की उम्र तक के बच्चे गुटका खाने लगे हैं, जो उनकी नकारात्मक छवि का निर्माण करता है कि पारधी तो शराब और नशीली दवाइयों के आदी हैं।

पुलिस द्वारा लोगों का ऐसा आपराधिकरण जानबूझकर इरादतन किया जाता है। इससे उन्हें लोगों की कमज़ोरी का फायदा उठाकर पैसा ऐंठने और/या उन्हें दबाकर रखने में मदद मिलती है।

(4) बच्चों को किशोर न्याय प्रणाली की सुरक्षा से वंचित रखा

किशोर कानून का खुले आम उल्लंघन होता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम 2000 के तहत सारे बच्चों, यानी उन सारे व्यक्तियों जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो, जिन पर किसी अपराध का आरोप है, उन्हें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए [अनुच्छेद 10 (1)]। उपरोक्त बयानों से पता चलता है कि पुलिस बच्चों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है जहाँ उन्हें गैर–कानूनी ढंग से कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हिरासत में रखा जाता है जो किशोर कानून का घोर उल्लंघन है। इन बच्चों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता, न ही उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। अंततः जब उनके अभिभावक पुलिस की पैसे की माँग पूरी कर देते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है।

पुलिस हिरासत में बच्चों को यातनाएँ दी जाती हैं और उन्हें किसी अपराध/अपराधों को 'कबूल' करने को मजबूर कर दिया जाता है। विभिन्न पुलिस थानों द्वारा बच्चों पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाकर मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। तीन पुलिस थानों ने **ए** की हिरासत ले ली थी और उस पर चौदह मामले ठोंक दिए गए थे।

बच्चे को पकड़ने के समय से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर है कि हर पुलिस थाने में किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हो। मैदानी हकीकत यह है कि अधिकांश मामलों में ऐसे अधिकारियों में 'माद्दा' नहीं है और न ही उपरोक्त कानून के अनुच्छेद 63 के प्रावधान के अनुसार उनका 'उपयुक्त प्रशिक्षण' या 'उन्मुखीकरण' हुआ है। थाने पर किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी पूरी तरह अन्य पुलिस कर्मियों के सुर में सुर मिलाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों के अधिकारों की बलि चढ़ाई जाती है।

किशोर न्याय बोर्ड ने जाँच दल को सूचित किया कि मेडिकल जाँच से पता चला था कि पुलिस थाने में बच्चे के साथ मारपीट की गई थी मगर बोर्ड ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। यह ज़िम्मेदारी बोर्ड की है कि वह बच्चों में विश्वास पैदा करने के प्रयास करे और एक ऐसा माहौल पैदा करे जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करें ताकि वे पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी के बारे में बता सकें।

जिन बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, उन्हें पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, जबकि इस बात के दस्तावेज़ी प्रमाण मौजूद होते हैं कि वे किशोरवय के

हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र। पुलिस हिरासत में या जेल में कुछ समय बिताने के बाद ही उन्हें किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जाता है, जैसा कि **ए** के साथ हुआ था। **एमएमएम** तो न्यायिक हिरासत में रजस्वला हुई थी, जिससे साफ है कि उसकी कम उम्र साफ नज़र आ रही होगी, मगर जब तक मुस्कान ने हस्तक्षेप नहीं किया, वह जेल में पड़ी रही।

प्रायः माता–पिता/अभिभावकों को इस बात की सूचना नहीं दी जाती है कि उनके बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है या उन्हें निरीक्षण गृह में रखा गया है। उदाहरण के लिए, **एल** की माँ ने बयान दिया है कि वह अपनी बच्ची को खोजते हुए पुलिस थाने से पुलिस थाने तक भटकती रही, तब जाकर उसे अपनी बच्ची एक पुलिस थाने में मिली। इसके बाद **एल** को निरीक्षण गृह में भेज दिया गया, मगर इसकी सूचना उसके माता–पिता को अट्ठारह दिन बाद दी गई। यह किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। कानून के अनुच्छेद 13 (ख) [पालकों, अभिभावकों या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना] में कहा गया है कि थाना प्रभारी "किशोर के पालकों या अभिभावकों, यदि उन्हें खोजा सके, को इस गिरफ्तारी की सूचना देगा और उन्हें निर्देश देगा कि वे उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, जहाँ किशोर को पेश किया जाएगा।"

(5) किशोर न्याय प्रणाली का दुरुपयोग व उसके प्रभाव

किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 (2006 में संशोधित रूप में) एक सामाजिक–लाभकारी कानून है। इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि उससे बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा मिले न कि उनकी क्षति हो।

जैसे कि ऊपर बताया गया, पुलिस बच्चों को समय–समय पर पकड़ती रहती है, उन्हें थाने में बैठाती है और तब तक यातनाएँ देती हैं, जब तक कि पैसे की माँग पूरी न कर दी जाए या उन पर आपराधिक मामले न थोप दिए जाएँ।

पुलिस द्वारा बच्चों को उनके पालकों से अलग करके बाल कल्याण समिति के समक्ष सिर्फ इसलिए पेश किया गया है क्योंकि वे कचरा बीनते हैं। अपने परिवार में वापिस पहुँचने से पहले इन बच्चों ने कई–कई दिन बाल गृह में बिताए हैं। **एफ** का बयान काफी चिंताजनक है क्योंकि इससे पता चलता है कि पुलिस, बाल कल्याण समिति और वह आवासीय संस्था जहाँ उसकी बच्चियों को रखा गया था, तीन साल तक बच्चों के माता–पिता को खोजने में नाकाम रहे! इससे पता चलता है कि व्यवस्था कितनी निर्मम है, खास तौर से बस्ती के बाशिंदों के लिए।

ऐसा सलूक किशोर कानून के विरुद्ध है और इसका मतलब यह निकलता है कि गरीबी और दुर्बलता को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की नृशंसता और बदसलूकी से निपटने के बच्चों के अपने विविध तरीके हैं, जैसा कि उनके बयानों में झलकता है – घटना का विवरण देते हुए कुछ बच्चे रो पड़े, कुछ हंस रहे थे, कुछ चमकती आँखों के साथ उत्तेजित होकर बात कर रहे

थे – जाँच दल के सदस्यों के मन में कोई संदेह नहीं है कि पुलिस नृशंसता/अत्याचार ने हर उस बच्चे की मानसिकता को आहत किया है जिसने उसका सामना किया।

बच्चों को ऐसे समय पर पकड़ना जब वे अपना सामान्य कामकाज कर रहे हों, कथित रूप से किसी अपराध या भीख माँगने के लिए, बच्चों में डर और असुरक्षा के बीज बो देता है। **डीडी** से जब जाँच दल ने पहली बार बात करने की कोशिश की तो वह रो पड़ा। जब पुलिस बच्चों के पास आती है, तो बच्चे डरकर भाग जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पकड़ा और पीटा जाता है।

बच्चे कचरा बीनने या अपने परिवार की अत्यंत कम आमदनी में थोड़ा योगदान देने हेतु काम पर जाते हैं क्योंकि अपनी सामुदायिक स्थिति के कारण वयस्कों को काम नहीं मिलता। अवसरों तक पहुँच का आश्वासन देने की बजाय पुलिस इन बच्चों को परिवार से पृथक कर देती है, और उनके साथ ऐसे बच्चों के रूप में सलूक किया जाता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसके बाद पालक/अभिभावक अपने बच्चों को वापिस पाने के लिए यहाँ–वहाँ भागते फिरते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।

बाल सुरक्षा से सम्बंधित सरकारी संस्थाएँ यह स्वीकार नहीं करतीं कि गरीबी में जी रहे माता–पिता भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अक्सर यह मान लिया जाता है कि माता–पिता अपराधों में लिप्त होते हैं और अपने बच्चों का इस्तेमाल आपराधिक कार्यों में या पैसा कमाने के लिए करते हैं। लिहाज़ा यह कहा जाता है वे माता–पिता होने के लायक नहीं हैं। सरकारी संस्थाएँ यह देख पाने में नाकाम रहती हैं कि गरीबी में सीमित विकल्पों और अवसरों के साथ जीने का एक अलग व व्यापक यथार्थ है जो मध्यम वर्ग से भिन्न है।

जो भी थोड़ी–बहुत आमदनी होती है वह बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने में खर्च हो जाती है, जो उनकी गरीबी को और बढ़ा देता है। अक्सर ऐसे कार्यों के लिए परिवार को पैसा उधार लेना पड़ता है और वे कर्ज़ में दबते जाते हैं।

(6) विशेष किशोर पुलिस इकाई की मिलीभगत

किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 के तहत भोपाल में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन बच्चों से सम्बंधित मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में संभालने के उद्देश्य से किया गया था। इसे पुलिस व एक गैर–सरकारी संगठन के कर्मी मिलकर चलाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश करने से पहले तक एक सुरक्षित वातावरण में रखा जाए।

पुलिस हिंसा के बारे में बच्चों की शिकायतों के चलते, यह चिंताजनक है कि इस इकाई द्वारा बच्चों को देर शाम/रात या जल्दी सुबह भी उसी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है (यह जानते हुए भी कि किशोर न्याय बोर्ड ऐसे समय पर काम नहीं कर रही होती)। इसी तरह मेडिकल जाँच के लिए बच्चों को पुलिसवालों के भरोसे छोड़ देना भी समस्याजनक है। ऐसे में मेडिकल रपट के वस्तुनिष्ठ या पक्षपातरहित होने पर भरेसा नहीं किया जा सकता।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यालय में पुलिस द्वारा राजीव नगर के दो बच्चों की पिटाई से पता चलता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्मित व्यवस्था को तंत्र ने अपने में समाहित कर लिया है और वह अपनी निर्धारित भूमिका को नहीं निभा पा रही है। न सिर्फ पुलिस को विशेष किशोर पुलिस इकाई के संरक्षण में रखे गए बच्चों तक पहुँचने दिया गया बल्कि इकाई के लोगों ने पुलिस द्वारा पिटाई को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न ही इस घटना की सूचना उच्चतर पुलिस अधिकारियों को दी। पिटाई की शिकायत के बाद भी इकाई ने घटना की आगे छानबीन भी नहीं की। नतीजतन इस भयानक घटना को दबा दिया गया।

एक खास किस्म के जोखिम से बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। परन्तु जाँच से यह बात सामने आई कि पुलिस के दुर्व्यवहार को सही ठहराने या उसके तर्क ढूँढने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है। टकराव–रहित अस्तित्व को बनाए रखने की खातिर व्यवस्था के अन्दर काम करने वाली एजेंसियाँ व लोग उसमें मौजूद प्रभुत्ववादी सोच का हिस्सा बन जाते हैं।

एक ओर यह ज़रूरी है कि विभाग अपने को समीक्षा के लिए खोले और उसके साथ काम कर रही संस्थाओं और एजेंसियों पर दबाव डालने की बजाय उन्हें एक दर्पण की तरह समझे, जिससे ज़मीनी स्थितियों में सुधार आ सके। दूसरी और यह भी अनिवार्य है कि व्यवस्था के अन्दर रहकर बच्चों के हित में काम कर रही संस्थाएँ पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, व्यवस्था की अवैधानिक गतिविधियों का साथ न दें।

(7) सरकारी उपेक्षाः अपर्याप्त अधोरचना और सुविधाओं का अभाव

संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन का अधिकार सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह लोगों के लिए जीवन की बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करवाए। फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत "मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के साथ–साथ वह सब कुछ शामिल है जो उसके लिए ज़रूरी है, अर्थात् पर्याप्त पोषण, वस्त्र और आश्रय, तथा पढ़ने, लिखने और विविध रूपों में स्वयं को व्यक्त करने जैसी जीवन की ज़रूरतें...।" शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम खिमलाल तोतामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "किसी भी सभ्य समाज में जीवन के अधिकार की गारंटी होती है। इस (अधिकार) के अंतर्गत भोजन का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार और रहने के लिए एक ठीक–ठाक आवास शामिल हैं। आवास के संदर्भ में किसी जानवर की ज़रूरत और मनुष्य की ज़रूरत के बीच फर्क को ध्यान में रखना होगा। जानवर के लिए यह मात्र शरीर की रक्षा से सम्बंधित है; मनुष्य के लिए यह एक उपयुक्त आवास होना चाहिए जो उसे हर तरह से विकसित होने की गुंजाइश दे – शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। संविधान का उद्देश्य हर बच्चे के लिए संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। वह तभी संभव होगा जब बच्चा एक उपयुक्त घर में हो।" चमेली सिंह बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "किसी भी सभ्य समाज में जीवन के अधिकार का आशय भोजन के

अधिकार, अच्छा पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और आवास से है। ये बुनियादी मानव ज़रूरतें हैं जो किसी भी सभ्य समाज को पता हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र, संधियों और भारत के संविधान में वर्णित सारे नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार इन बुनियादी मानव अधिकारों के बगैर अधूरे हैं।"

सामान्य टीप क्रमांक 4, समुचित आवास का अधिकार में कहा गया है, "समुचित आवास के अंतर्गत भू–सम्पत्ति के अधिकार (tenure) की कानूनी सुरक्षा, ["समस्त व्यक्तियों को भोग अधिकार की सुरक्षा हासिल होनी चाहिए जो ज़बरन विस्थापन, परेशान किए जाने और अन्य भयों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करे"], सेवाओं की उपलब्धता, सामग्री, सुविधाएँ और अधोसंरचना ["स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य कुछ सुविधाएँ...सुरक्षित पेयजल...प्रकाश व्यवस्था, शौच व्यवस्था...जल निकास व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएँ अवश्य हों"], स्थिति ["स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों... तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं तक पहुँच"]।

जाँच दल का मत है कि जिन बस्तियों का दौरा किया गया वहाँ के बाशिंदे संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार से वंचित हैं क्योंकि उन्हें समुचित आवास, बुनियादी सुविधाएँ और मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित रखा गया है। इन अधिकारों से इन्कार करना राज्य तथा उसकी संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के बराबर है।

बस्ती तक सुगम पहुँच के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई सड़कें नहीं बनाई गई हैं। निकास व्यवस्था के अभाव में लोगों को अपने घर तक पहुँचने के लिए पानी और कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है, खास तौर से बरसात के मौसम में हालत बहुत बुरी होती है जिसके चलते हालात अस्वास्थ्यकर बन जाते हैं।

नल कनेक्शन लगभग नदारद हैं। बस्ती के लोगों को अपनी ज़रूरत का पानी खरीदना पड़ता है – या तो टैंकरों से या उन लोगों से जिनके पास पानी का स्रोत है। कुछ बस्तियों में घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं मगर अधिकांश घरों में मीटरयुक्त कनेक्शन नहीं हैं।

बहुत ही थोड़े से घरों में शौच व्यवस्था है और न ही बस्ती में सामूहिक शौचालय बनाए गए हैं। लिहाज़ा बस्तीवासियों, महिलाओं और बच्चों समेत, को बस्ती के आसपास खुली जगहों पर शौच के लिए जाना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार आसपास की मध्यमवर्गीय कॉलोनियों के लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं।

गाँधी नगर को छोड़कर सारी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव नज़र आया। गाँधी नगर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ दिन के समय सुविधाएँ मिलती हैं। अतः लोगों के पास स्वास्थ्य सम्बंधी ज़रूरतों के लिए प्रायवेट डॉक्टरों के पास या क्लीनिकों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बस्तीवासियों ने जाँच दल से शिकायत की है कि जब पुलिस पिटाई के कारण हुई चोटों के लिए उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज माँगा तो उन्होंने पुलिस की अनुपस्थिति में इलाज करने से मना कर दिया था।

बच्चे जीवनयापन के वास्ते कचरा बीनने जाते हैं। अधिकांश बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं। **एए** ने जाँच दल को बताया कि उसने कर्ज़ चुकाने में अपनी माँ की मदद करने के लिए स्कूल छोड़कर कचरा बीनना शुरू किया था। वह कर्ज़ पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की वजह से लिया गया था। **एलएल** ने भी पुलिस के डर से ही स्कूल छोड़ा था।

स्कूल जाने वाले बच्चों के पालक, जिनकी संख्या बहुत कम है, चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लें मगर ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनकी बस्ती से दूर है। इसलिए बच्चों को निकट के किसी प्रायवेट स्कूल में डाल दिया जाता है। बंजारी बस्ती के बाशिंदों ने बताया कि उनके बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। गंगा नगर के लोगों ने प्रायवेट स्कूल के शिक्षकों की शिकायत की कि वे पढ़ाने की बजाय सोते रहते हैं या शॉपिंग करने चले जाते हैं।

हालाँकि बस्ती के निवासी वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं मगर उनके पास कानूनी पट्टे की कोई सुरक्षा नहीं है और वे हमेशा ज़बरन हटाए जाने को लेकर डरे रहते हैं। जिन लोगों को ज़मीन के पट्टे मिल गए हैं उन्हें भी मकान तोड़े जाने का डर सताता है, जैसा कि गंगा नगर में हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रायवेट बिल्डर्स (डेवलपर्स) वे ज़मीनें हड़पने की फिराक में रहते हैं जहाँ ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। लगातार दो वर्षों तक बंजारा बस्ती को जलाया गया और बगैर किसी सूचना के तोड़–फोड़ दस्ता बस्ती में पहुँच गया और निवासियों को ज़बरन खदेड़ने की कोशिश की। असुरक्षा को और बढ़ाते हुए, बस्ती के लोगों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति पहचान पत्र जैसे कोई पहचान दस्तावेज़ नहीं दिए गए हैं। भारत में सारी हकदारियाँ/सुरक्षाएँ – शिक्षा संस्थानों में दाखिला, नौकरी समेत – इन दस्तावेज़ों पर आश्रित हैं। इन दस्तावेज़ों के अभाव में बस्तीवासी नुकसान की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे दस्तावेज़ हों तो सुरक्षा का एक एहसास बनता है।

(8) बच्चों और हाशिए के समुदायों के प्रति सरकार की नाकामी

उनके उत्पीड़न की वजह यह नहीं कि वे लोग क्या करते हैं बल्कि यह है कि वे कौन हैं (विमुक्त यानी डीनोटिफाइड जनजाति, घूमंतु जनजाति, गरीब, या बेघर वगैरह)। यकीनन यह बच्चे के लिए कोई स्वस्थ माहौल नहीं है। और इस स्थिति के निर्माण के लिए राज्य ही पूरी तरह जवाबदेह है।

इस स्थिति को बेहतर बनाने की बजाय राज्य की मशीनरी अपनी मिलीभगत या निष्क्रियता के चलते इसे और बदतर बना रही है। इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अभाव में सिविल सोसायटी को इस शोचनीय परिस्थिति को जारी रखने का हौसला मिलता है।

सिफारिशें

1. राज्य सरकार और सम्बंधित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारधी और अन्य हाशियाकृत समुदाय अपने संवैधानिक, (विधिक) प्रक्रियागत और अन्य अधिकारों के साथ जी सकें, और उन अधिकारों के साथ भी जो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तय मानवाधिकारों के तहत दिए जाते हैं।

2. यह ज़रूरी है कि पुलिसवालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू हो और उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए। इससे पुलिस ज़्यादतियों को रोकने में मदद मिल सकती है और साथ ही समाज में यह संदेश जाएगा कि कचरा बीनने वाले, पारधी समुदाय और अन्य हाशियाकृत लोगों के भी वही अधिकार हैं जो बाकी सबके हैं। और यह कि व्यवस्था ऐसा न मानने वालों के साथ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करती है।

3. जब भी किसी हिंसा या प्रताड़ना या अवैध रूप से पकड़े या बन्द किए जाने की घटना या फिर पुलिस थाने के अन्दर या बाहर पैसे माँगे जाने की शिकायत सामने आए, तो त्वरित रूप से सम्बंधित पुलिसवाले के खिलाफ प्राथमिकी (एफ.आइ.आर.) दर्ज की जानी चाहिए।

   i) उपरोक्त की शिकायत सामने आए, तो सम्बंधित पुलिसवाले के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

   ii) विभागीय कार्रवाई के चलते सम्बंधित पुलिसवाले को सेवा से निलंबित किया जाना चाहिए।

4. 14 अप्रैल 2015 को विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) कार्यालय में क्राइम ब्रांच से जुड़े पुलिसकर्मियों द्वारा दो बालकों की पिटाई के मामले में तत्काल एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के तत्वावधान में जाँच शुरू की जाए।

5. पुलिस के हाथों हिंसा/प्रताड़ना या अवैध हिरासत या ज़बरन पैसा उगाही के शिकार लोगों को म.प्र. सरकार को मुआवज़ा देना चाहिए।

6. सम्बंधित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि (1) पारधी और अन्य विमुक्त जातियों के बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, (2) किसी अपराध के आरोपी किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार की हिंसा न होने पाए, (3) शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं के लिए हाशिए पर जीने वाले लोगों और उनके बच्चों को गलत तरीके से फँसाया न जाए, (4) पुलिस लोगों से पैसों की उगाही न करे, (5) अगर इस बात का समुचित शक है कि कोई अपराध किया गया है, तो न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए – चाहे आरोपी जो भी हो।

7. राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल पर कम से कम एक पाँच–सदस्यीय समिति का गठन होना चाहिए जो पुलिस थानों की यकायक जाँच करके यह पता लगाए कि वहाँ कोई

किशोर या वयस्क अवैध रूप से तो नहीं बन्द है। इस समिति में अकादमिक लोग, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर लोग, पत्रकार और समाज कल्याण के कामों से जुड़े अन्य लोग हो सकते हैं।

8. पुलिस कमिश्नर हरेक पुलिस थाने को एक सरकुलर के जरिए सूचित करे कि पुलिसवाले कचरा बीनने वालों, पारधी समुदाय और दूसरे वंचित समुदाय के लोगों को परेशान करना बन्द करें, अन्यथा उन पर विभागीय जाँच की जाएगी।

9. पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आम समाज में एक तगड़ा संदेश फैलाए कि कचरा बीनने वाले, पारधी समुदाय के लोग और दूसरे वंचित समुदाय के लोग इस देश के बराबर के नागरिक हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक दर्जे के कारण उनके साथ मारपीट, गाली–गलौच, रोक–टोक या सार्वजनिक सुविधाओं से उन्हें वंचित करने जैसे कृत्यों से उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर एफ.आइ.आर. समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

10. बच्चों के सर्वोत्तम हित में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 का, उसके 2006 में संशोधित रूप में सही अर्थों में पालन किया जाना चाहिए।

11. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि कानून से संघर्ष वाले किशोर या देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे खुलकर यह बता सकें कि पुलिस से उन्हें कैसा सुलूक मिला है। पुलिस ज़्यादतियों की सूचना मिलने पर किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को अपनी ओर से सुओ–मोटो जाँच और सतत फॉलेअप करना चाहिए।

12. यह ज़रूरी नहीं कि वंचित और हाशिए पर जी रहे समुदाय के बच्चे "देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे" हों और "रेस्क्यू कार्रवाई" के दौरान उन्हें उनके परिवार से अलग किया जाए। ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से जोड़कर उनको और उस बच्चे को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर सकें।

13. ज़िला बाल सुरक्षा इकाई (डी.सी.पी.यू.) को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। डी.सी.पी.यू. के अध्यक्ष होने के नाते जिलाधीश (कलेक्टर) को इन मामलों की स्वयं छानबीन करनी चाहिए और यह आदेश जारी करने चाहिए कि एफ.आई.आर. दर्ज हो सकें।

14. एक पूर्णकालिक ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी (डी.सी.पी.ओ.) की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह बाल सुरक्षा के कामों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। डी.सी.पी.ओ. को कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए, न ही किसी अधिकारी को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के तौर पर डी.सी.पी.ओ. बनाया जाना चाहिए।

15. महिला एवं बाल कल्याण विभाग, म.प्र. शासन को अन्य अकादमिकों, गैर–सरकारी संगठनों और बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ मिलकर पुलिस थाने में पदस्थ किशोर या बाल सुरक्षा अधिकारी के काम, फोकस, भूमिका और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करना चाहिए।

16. पारधियों और अन्य विमुक्त जाति के लोगों के प्रति पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, बाल सुरक्षा समितियों और आम समाज के नज़रिए और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सभी सम्बंधित विभागों (मंत्रालयों) को कदम उठाने चाहिए। इसके लिए और साथ ही राज्य में रहने वाले विमुक्त जाति के समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए म.प्र. सरकार को अकादमिकों, गैर–सरकारी संगठनों और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनानी चाहिए।

17. पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलावों की सख्त ज़रूरत है – खासकर वंचित और निस्सहाय समुदायों के संदर्भ में। म.प्र. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की पाठ्यचर्या में मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों, सार्वजनिक स्वतंत्रता और भेदभाव को पैदा करने वाले सामाजिक–आर्थिक पूर्वाग्रहों के बारे में एक मॉड्यूल होना चाहिए। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000, उसके सिद्धान्त, बाल मनोविकास और बाल विकास को पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

18. सरकारी अमले और आम समाज में यह चेतना लाया जाना चाहिए कि कचरा बीनना आपराधिक गतिविधि नहीं है, अपितु यह ज़िन्दा रहने और जीवनयापन करने के लिए किया जाने वाला काम है और रीसायक्लिंग में प्रमुख योगदान देता है।

19. म.प्र. सरकार और दूसरे सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि वे बस्तियों को मूल सुविधाएँ (जैसे पाइपों से पानी की सप्लाई, बिजली के कनेक्शन, नाली–निकास की व्यवस्था, आदि) मुहैया कराए ताकि उनके विधिक रहवास की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

20. कानून से संघर्ष की स्थिति वाले बच्चों या किशोरों के संदर्भ में उनके बारे में जानकारी की पारदर्शिता और उसको साझा करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें उनको गिरफ्तार किए जाने, एफ.आई.आर. दर्ज करने, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित केस या उनके द्वारा निपटाए गए मामले आदि शामिल हों। यह ज़रूरी है कि ऐसी सब जानकारी एक जगह संग्रहित हो और उसे माँगने वालों को उपलब्ध कराई जाए। यह भी आवश्यक है कि यह जानकारी सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (जैसे किशोर न्याय सी.आई.डी. इन–चार्ज) के साथ साझा की जाए और इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाए ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २००० के अंश[1]

अध्याय 2

विधि विवादित किशोर

10. विधि विवादित किशोर की गिरफ्तारी – 1(1) जैसे ही कोई विधि विवादित किशोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, वह विशेष किशोर पुलिस इकाई या अभिहित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा जो किशोर को समय गवाए बिना गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा में लगाए गए समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विधि विवादित किशोर किसी भी दशा में पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के –

1. उन व्यक्तियों के लिये व्यवस्था करने हेतु जिनके द्वारा (जिसमें रजिस्ट्रीकृत स्वयंसेवी संगठन भी सम्मिलित हैं) विधि विवादित कोई किशोर बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है।
2. उस रीति की व्यवस्था करने हेतु जिससे ऐसे किशोर को किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जा सकता है।

11. किशोर पर अभिरक्षण का नियंत्रण – ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार के अधीन इस अधिनियम के अनुसरण में किसी किशोर को रखा गया है, उसी तरह उस किशोर पर आदेश के प्रवर्तन की अवधि तक नियंत्रण रखेगा जिस तरह वह रखता यदि वह उसका माता–पिता होता और वह उसके भरण–पोषण का ज़िम्मेदार होगा और किशोर उसके भार के अधीन उस अवधि तक निरंतर बना रहेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित किया गया हो चाहे भले ही उसके माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर दावा किया गया हो।

13.माता–पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को सूचना – जहाँ किसी किशोर को गिरफ्तार किया गया है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस यूनिट जिसके समक्ष उस किशोर को लाया गया है गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र –

(क) किशोर के माता–पिता या संरक्षक को, यदि उन्हें पाया जा सकता है, ऐसी गिरफ्तारी की सूचना देंगे और उन्हें बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिये निर्दिष्ट करेंगे, जिसके समक्ष किशोर को हाज़िर किया जायेगा, और

(ख) ऐसी गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को देंगे ताकि वह किशोर के पूर्व वृतान्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य तात्विक परिस्थितियों को प्राप्त कर सके जिनसे बोर्ड को जाँच करने में सहायता मिल सके।

---

[1] जयदेव बांगिया, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय नियम, 2007 साथ में म. प्र. किशोर न्याय नियम, 2003, प्रकाशक – सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित

23. किशोर अथवा बालक के प्रति कूरता के लिये दण्ड – जो कोई भी, किसी किशोर या बालक का वास्तविक भार या उस पर नियंत्रण रखते हुए किशोर पर प्रहार करता है, उसका परित्याग करता है, खुला छोड़ देता है या जानबूझ कर उसकी उपेक्षा करता है या उस पर प्रहार करना, उसका परित्याग किया जाना, खुला छोड़ दिया जाना या ऐसी किसी रीति से उसकी उपेक्षा करना कारित या उपाप्त करवाता है जो कि उस किशोर या बालक को संभाव्यतः अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा कारित कर सकता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छः महीनों तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

26. किशोर अथवा बालक कर्मचारी का शोषण – जो कोई किसी किशोर या बालक को किसी परिसंकट मय नियोजन के प्रयोजन के लिये दृश्यतः उपाप्त करता है उसे वर्धित अवस्था में रखता है और उसके उपार्जनों को रोक रखता है या ऐसे उपार्जनों का अपने स्वंय के प्रयोजनों के लिये उपयोग करता है वह ऐसी अवधि के कारवास से दण्डनीय होगा जो तीन वर्षो तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दायी होगा।

27. विशेष अपराध – धारा 23, 24, 25, और 26 में दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

28. जहाँ कोई कार्य अथवा लोप इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन भी दण्डनीय अपराध का निर्माण करता है वहाँ तत्समय प्रवत किसी अवधि में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी ऐसे अपराधों का दोषी पाये जाने वाला अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के अधीन दण्ड के लिये दायी होगा जो कि ऐसे दण्ड का उपबंध करता है जो कि मात्रा में अधिक है।

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, २००७

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा.का.नि 679 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 – चूंकि विधान के अनेक उपबंधों, जैसे कि अनुच्छेद 15 के खंड (3), अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2), अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 39 के खंड (ड) और (च), अनुच्छेद 39क, अनुच्छेद 45, 47 और 51क (ट) में बच्चों की सभी ज़रूरतों की पूर्ति तथा उनके मूलभूत अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रमुख दायित्व राज्य पर अधिरोपित किया गया है –

और चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को अंगीकृत तथा भारत द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थित बालक अधिकार कन्वेशन में बच्चों को अधिकार दिए जाने तथा जीवन रक्षा, विकास, संरक्षण व भागीदारी के उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से किशोरों के समाज में पुनर्समेकन तथा असुरक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण पर बल दिया गया है;

और चूंकि किशोर न्याय कार्यान्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम) तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र नियम (1990) में वह न्यूनतम मानक

निर्धारित किया गया है, जिनका अनुपालन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में किशोर न्याय कार्यान्वयन के क्षेत्र में किया जाना है;

और चूंकि किशोर न्याय कार्यन्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र दिशा–निर्देशों (रियाद दिशा–निर्देशों) एवं अन्य सभी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों में किशोर अपचारिता के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ दिशा–निर्देश भी दर्शाए गए है;

और चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 33) के द्वारा यथा–संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) संविधान एवं संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया तथा इस अधिनियम का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण व विकासात्मक ज़रूरतों की पूर्ति द्वारा अच्छे व्यवहार की व्यवस्था करके तथा इन बच्चों के सर्वोत्तम हित में व उक्त अधिनियम में उल्लिखित संस्थागत एवं गैर–संस्थागत उपायों के माध्यम से इनके पूर्ण पुनर्वास और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए इनके मुकदमों के न्याय निर्णयन और निपटान में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर ऐसे किशोरों व बच्चों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करना था;

इसलिए, अब उक्त अधिनियम के उपबंधों के बेहतर एवं अक्षरशः कार्यान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 68 की उप–धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे दर्शाए गए नियम बनाती है और किशोर न्याय के कार्यान्वयन पर लागू किए जाने वाले आधारभूत सिद्धांत निर्धारित करती है, जो इस प्रकार हैः–

अध्याय 2

किशोर न्याय एवं बालकों के संरक्षण के आधारभूत सिद्धांत

3. इन नियमों के प्रशासन में अनुपालित किए जाने वाले आधारभूत सिद्धांत – (1) जब इन नियमों के उपबंधो का कार्यान्वयन करते समय, यथास्थिति, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण या अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुपालन करेगा और इनसे मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे।

(2) निम्निलिखित सिद्धांत, अन्य बातों के साथ, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुप्रयोग, निर्वचन एवं कार्यान्वयन का आधार होंगे।

I. निर्दोषिता की उपधारा का सिद्धांत

(क) किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने किसी किशोर को 18 वर्ष की आयु तक असद्भावपूर्वक या आपराधिक आशय रखने का दोषी नहीं मना जाएगा।

(ख) किशोरों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को समस्त न्याय एवं संरक्षण प्रक्रिया के दौरान, बच्चे या किशोर से प्रथम सम्पर्क से लेकर वैकल्पिक देखभाल एवं पश्चात्वर्ती देखरेख तक, मान्यता दी जाएगी।

(ग) किसी किशोर अथवा बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर जिसे वह जीवित रहने के लिए, या वातावरण या परिस्थितियों के कारणों से अथवा वयस्कों के नियंत्रणाधीन अथवा साथियों के दबाव में किए गए किसी विधि विरुद्ध आचरण को निर्दोषिता के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया जाए।

(घ) निर्दोषिता की उपधारण के सिद्धांत के मूलभूत घटक इस प्रकार हैं–

(प) निर्दोषिता की आयु – निर्दोषिता की आयु वह आयु होती है, जिससे कम आयु में किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक पर दाण्डिक न्याय प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है। बीजिंग नियम 4 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक उत्तरदायित्व की प्रारम्भिक आयु के रूप में बहुत कम आयु निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।" इस सिद्धांत के अनुरूप विश्व भर में किसी किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता की आयु अठारह वर्ष से अधिक मानी जाती है।

(पप) निर्दोषिता के सिद्धांत का प्रक्रियात्मक संरक्षण – संविधान और अन्य संविधियों द्वारा वयस्कों को प्रत्याभूत किए गए सभी प्रक्रियात्मक रक्षोपाय और वे रक्षोपाय जो किशोर या बालक की निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को बल प्रदान करते हैं, वे सभी रक्षोपाय किशोरों या बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को प्रत्याभूत होंगे।

(पपप) विधिक सहायता और वादार्थ संरक्षक के उपबंध – विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को यह अधिकार है कि उन पर लगाए गए आरोपों के विषय में उन्हें सूचित किया जाए तथा उन्हें विधिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के खर्च पर विधिक सेवा के माध्यम से वादार्थ संरक्षण, कानूनी सहायता और ऐसी अन्य कोई सहायता प्रदान करने के उपबंध किए जाएं। इन उपबंधों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला स्वंय प्रस्तुत करने का अधिकार किशोरो को दिए जाने का उपबंध भी शामिल किया जाएगा;

II. गरिमा और स्वाभिमान का सिद्धांत

(क) बालक की गरिमा एवं स्वाभिमान के भावों के अनुरूप व्यवहार किशोर न्याय का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत वैश्विक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित इस मूल मानवाधिकार को दर्शाता है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र होते है तथा गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से एक समान है। गरिमा के सम्मान के अंतर्गत किसी को अपमानित न किया जाना, व्यक्तिगत पहचान, सीमाओं एवं स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाना भी है, किसी को कलंकित न किया जाए, सूचनाएं प्रदान की जाएं तथा उसके कार्यों के लिए दोषी न ठहराया जाए।

(ख) किसी किशोर या बालक के गरिमा एवं स्वाभिमान के अधिकार को उसके मामले से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान, विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा बालक के साथ प्रथम सम्पर्क से लेकर उससे संबंधित सभी उपायों के कार्यान्वयन तक, पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।

III. सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत

किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर प्रत्येक

बालक के उसके स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बालक को सुने जाने के अधिकार के अंतर्गत उसके विकासात्मक स्तर के अनुरूप उससे बात करने के लिए उपयुक्त साधनों एवं प्रक्रियों का सृजन, बालकों के अपने जीवन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़वा दिया जाना तथा विचार विमार्श एवं वाद–विवाद के समुचित अवसर प्रदान करना भी शामिल हैं।

IV. सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

(क) किशोर न्याय प्रशासन के संदर्भ में लिए जाने वाले सभी विनिश्चय में, मुख्यतया किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होगा।

(ख) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत से अभिप्रेत है कि उदाहरणार्थ – दाण्डिक न्याय, दण्ड एवं निरोध के परम्परागत उद्‌देश्यों के स्थान पर किशोर न्याय के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के निश्चित उद्‌देश्य होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक बालक की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित करके बालक को जीवन जीने और अपनी पूर्ण क्षमतानुसार विकसित होने में सहायता करने के उद्‌देश्य से इस सिद्धांत के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास सुनिश्चित किया गया है।

V. परिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

(क) बालकों का पालन–पोषण करने, उनकी देखरेख करने, उन्हें सहायता प्रदान करने एवं उनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः उनके माता–पिता का होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, यह उत्तरदायित्व इन बालकों को दत्तक के लिए इच्छुक अथवा पालक माता–पिता को सौंपा जा सकता है।

(ख) उस बालक के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में बालक के जन्मदाता परिवार को भागीदार बनाया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा किया जाना उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो।

(ग) जन्मदाता, दत्तक ग्रहण करने वाला या पालक (इसी क्रम में) परिवार बालक के लिए उत्तरदायी होगा तथा उक्त परिवार इस अधिनियम के अधीन किशोर या बालक को आवश्यक देखरेख, सहायता एवं संरक्षण प्रदान करेगा तथा अपनी देखरेख व अभिरक्षा में रखेगा, जब तक कि सर्वोत्तम हित का उपाय अथवा अन्यथा आदेश न दिया गया हो।

VI. सुरक्षा का सिद्धांत (किसी भी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार न हो)

(क) आरंभिक सम्पर्क से लेकर जितने समय तक वह देखरेख और संरक्षण प्रणाली के सभी उपक्रमों के सम्पर्क में रहता है और पश्चात् भी किशोर न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शारिरिक दण्ड अथवा जेलों में एकान्त परिरोध अथवा अन्य किसी प्रकार के परिरोध के अधीन किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उत्पीड़ित नहीं दिया जाएगा और किशोर या बालक के संवेदनशील मन को किसी भी प्रकार के आघात से बचाने के लिए उसकी पूरी देखरेख की जाएगी।

(ख) प्रत्येक बालक की देखरेख और संरक्षण के नाम पर किसी भी प्रकार के निबंधात्मक उपायों व

प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना उसकी देखरेख एवं संरक्षण में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का गुरुत्तर दायित्व राज्य का है।

VII. सकारात्मक उपाय

(क) सावधानीपूर्वक तैयार की गई वैयक्तिक देखरेख योजनाओं के माध्यम से किशोर या बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के उद्देश्य से परिवार, स्वंयसेवकों एवं अन्य सामुदायिक समूहों जैसे स्कूलों और मुख्यधारा की अन्य सामुदायिक संस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं के रूप में सभी संभव संसाधन पूरी तरह जुटाने वाले सकारात्मक उपाय करने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए।

(ख) सकारात्मक उपायों का उद्देश्य असुरक्षा को कम करना तथा विधि के अधीन अंतक्षेप की आवश्यकताओं को कम करना और किशोर अथवा बालकों के साथ प्रभावी, न्यायोचित एवं मानवीय व्यवहार करना है।

(ग) सकारात्मक उपायों में, स्वास्थ्य, शिक्षा, नातेदारी, आजीविका, सुविधाएं, सर्जनात्मकता एवं खेलकूद के अवसर भी शामिल है।

(घ) ऐसे सकारात्मक उपायों के द्वारा बालकों की पहचान विकसित होनी चाहिए तथा उन्हें विकास के लिए हर तरह का अनुकूल वातावरण प्राप्त होना चाहिए।

VIII. कलंकित न करने वाले शब्दों, निर्णय एवं कार्यवाही का सिद्धांत

अधिनियम के अनुसार, कलंकित न करने वाले शब्दों का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित कार्यवाहियों में जैसे, गिरफ्तार, रिमांड, आरोपी, आरोप–पत्र, विचारण, अभियोजन, वारण्ट, समन, दोषसिद्ध, अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे प्रतिकूल अथवा अभियोगपरक शब्दों के प्रयोग का निषेध किया गया है।

IX. अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत

(क) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर द्वारा स्वंय अथवा सक्षम प्राधिकारी या किशोर अथवा बालक की ओर से कार्यवाही में भाग ले रहे या दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा उस किशोर या बालक के अधिकारों का अधित्यजन न तो अनुज्ञेय है और न ही विधिमान्य होगा।

(ख) किसी मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जाना उस अधिकार का अधित्यजन नहीं है।

X. समता और अविभेद का सिद्धांत

(क) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर के साथ आयु, लिंग, जन्म, स्थान, विकलंगता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मूलवंश, जातीयता, धर्म, जाति, सांस्कृतिक परम्पराओं, कार्य, उस किशोर या बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावकों के कार्यकलापों या व्यवहार अथवा किशोर या बालक की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रतिष्ठा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को इस अधिनियम के अधीन पहुंच, अवसरों, व्यवहार की दृष्टि से समता का अधिकार दिया जाएगा।

XI. एकांतता एवं गोपनीय के अधिकार का सिद्धांत

कार्यवाहियों तथा देखरेख एवं संरक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान, सभी साधनों के द्वारा किशोर या बालक की एकांतता एवं गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा।

XII. अन्तिम विकल्प का सिद्धांत

किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अन्तिम विकल्प के रूप में ही किसी संस्था में भेजा जाएगा और वह भी न्यूनतम समयावधि के लिए।

XIII. प्रत्यावर्तन एवं पुनरुद्धार का सिद्धांत

(क) प्रत्येक बालक या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर का यह अधिकार है कि उसका अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हो तथा उसे समान सामाजार्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पुनः प्राप्त हो, जिसमें वह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आने या उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण के पूर्व रह रहा था।

(ख) कोई बालक, जिसका अपने परिवार से सम्पर्क न रह गया हो, अधिनियम के अधीन संरक्षण का पात्र होगा तथा उसे यथाशीघ्र उसके परिवार में वापस पहुंचाया जाए, किन्तु ऐसा तब नहीं किया जाएगा जबकि ऐसा करना बच्चे या किशोर के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध हो।

XIV. नव प्रारंभ का सिद्धांत

(क) नव प्रारंभ का सिद्धांत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के पिछले अभिलेखों को समाप्त करना सुनिश्चित कर उसे नवजीवन शुरू करने के लिए बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य अभिकथित या दाण्डिक विधि के टकराव के लिए पहचान किए गए बालकों पर किसी न्यायिक कार्यवाही का आश्रय लिए बिना अन्य कारण उपाय करेगा।

अध्याय 3

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर

11. पुलिस एवं अभिकरणों द्वारा पेशी के पूर्व एवं पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही

(1) पुलिस अधिकारी, कानून के उल्लंघन के आरोपी किशोर को पकड़ते ही, इन सबको सूचित करेंगेः

(क) निकटतम पुलिस थाने के नामनिर्दिष्ट किशोर अथवा कल्याण अधिकारी को, ताकि वह इस मामले का प्रभार लें।

(ख) विधि के उल्लंघन के अभिकथित किशोर के माता–पिता या संरक्षक को उस किशोर के पकड़े जाने के साथ–साथ बोर्ड के पते, जहाँ किशोर को प्रस्तुत किया जाएगा, और उस तारीख एवं समय की सूचना देगा, जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना हो;

(ग) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी, जिससे कि वह किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य पारिस्थितिक तथ्यों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि बोर्ड के जांच करने में सहायक हो।

(2) किशोर के पकड़े जाने के तुरंत पश्चात् उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) अनुसार किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जहाँ अधिनियम की धारा (63) की उपधारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध न हो, तो वहां किशोर को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी ही उसे बोर्ड के समझ प्रस्तुत करेगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पकड़ने वाली पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं भेजेगी या प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में विलम्ब नहीं करेगी, यदि ऐसा कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) किसी जिले में सभी नामनिर्दिष्ट किशोर या बाल कल्याण अधिकारियों एंव विशेष किशोर न्याय पुलिस ईकाई के सदस्यों की सूची, उनके सम्पर्क के ब्यौरे सहित प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाई जाएगी।

(5) पुलिस या पुलिस के पदधारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में उपलब्ध सम्पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचनाएं एकत्र करेंगे और किशोर के माता–पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर के व्यवहार की जानकारी देंगे।

(6) पुलिस या प्रभावी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, एवं अभिकथित अपराध के अभिलेख भी लेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।

(7) पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर को पकड़ने की अपनी शाक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करेंगे, जिनमें उस पर गम्भीर अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हों (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 7 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता है)।

(8) ऐसे मामलों में, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि किशोर को पकड़ा जाना उसके हित में है, उन मामलों में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी संबंधित किशोर को देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरतमंद बालक मानते हुए उसको साथ व्यवहार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के समय अपनी रिर्पोट में किशोर की देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत दर्शाएंगे तथा बोर्ड से इन नियमों के नियम 13 (1)(ख) के अंतर्गत उपयुक्त आदेश पारित करने का अनुरोध करेंगे।

(9) जिन मामलों में अपराध गंभीर नहीं है, (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है) तथा जहाँ किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक नहीं है, उन सभी पुलिस प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी माता–पिता या संरक्षकों को सूचित करेंगे कि जो अपराध किए जाने के आरोप उनके बालक या प्रतिपाल्य द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति के बारे में लगाए गए हैं, उन अपराधों की प्रकृति तथा उस बालक की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना बोर्ड को भेजी गई है, जिसे पश्चात्वर्ती सुनवाई के लिए किशोर को बुलाने की शाक्ति होगी।

(10) बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित न करने की दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले पर कार्यवाही करते समय पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के लिए प्रथम इत्तिला रिर्पोट दर्ज करना अथवा आरोप–पत्र फाइल करना उपेक्षित नहीं होगा, सिवाया वहां, जहां किशोर द्वारा किसी गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना अभिकथित हो, जैसे बलात्कार, हत्या या जब ऐसे अपराधों में वयस्कों का साथ देना अभिकथित किया गया हो; बल्कि साधारण अपराधों के मामले में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर पर जो अपराध करना अभिकथित किया गया हो, उस अभिकथित अपराध की सूचना अपनी साधारण दैनिक डायरी में दर्ज करके किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन परिस्थितियों तथा कथित आरोपों का ब्यौरा दर्शाने वाली रिर्पोट बोर्ड को पहली सुनवाई से पहले भेजेंगे।

(12) राज्य सरकार केवल उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करेगा, जो परिवीक्षा सेवाएं, परामर्श, मामला कार्य, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो तथा जिनके पास संरक्षक अभिकरणों के रूप में वे क्षमताएं, सुविधाएं, विशेषज्ञता हो, जिनके द्वारा वे किशोर को पड़ने जाने के समय, किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ–साथ जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिर्पोट तैयार करने में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी की सहायता कर सकें, बोर्ड के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किए जाने तक उसकी देखरेख कर सकें और उस किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता कर सकें।

(13) पकड़े गए किशोरों तथा जितनी अवधि तक उन्हें पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन की देखरेख में रखा गया, उस अवधि के दौरान उन किशोरों को सुरक्षा तथा भोजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

(14) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष किशोर को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की अगली बैठक में कराने की आवश्यकता होगी।

12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेंगे।

(2) यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति प्रथम दृष्टया किशोर या बालक होने का विनिश्चय यथास्थिति, बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक बनावट अथवा दस्तावेज़ों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी और तदनुसार उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेजेगी।

(3) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में यथास्थिति विद्यालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जांच करने के लिए निम्नलिखित द्वारा साक्ष्य प्राप्त करेंगे –

(क) (1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके न होने पर;

(2) जहां पहली बार गया (प्ले स्कूल छोड़कर), उस स्कूल से जन्म प्रमाण–पत्र और उसके उपलब्ध न होने पर;

(3) नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र; और

(ख) और उपर्युक्त खण्ड (क) के (1), (2) अथवा (3) की अनुपलब्धता में ही सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड, जो किशोर अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा, की राय ली जाएगी। यदि आयु का बिल्कुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो, तो न्यायालय अथवा बोर्ड या यथास्थिति समिति कारणों का अभिलेख करते हुए यदि आवश्यक समझे तो बच्चे अथवा किशोर को एक वर्ष कम आयु का लाभ दे सकती है।

और ऐसे किसी मामले में यथास्थिति ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करते समय बोर्ड या न्यायालय या समिति किशोर या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (1), (2), (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थिति में खण्ड (ख) में दर्शाए गए चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु के संबंध में निर्णायक साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।

13. प्रस्तुत करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां

(2) बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् –

(क) जांच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी है; दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियां यथासंभव साधारण ढंग से की जाएगी तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस किशोर के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले;

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जांच में शामिल होगा;

(घ) छोटे–मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका हो, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जांच के माध्यम से निपटाएगा, जबकि गम्भीर अपराधों के जिन मामलों में 7 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जांच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी;

(ड़) गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो समन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।

(4) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड किशोर से बाल अनुकूल रीति में सवाल–जवाब करेगा ताकि वह सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में एवं प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों एंव परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड उस किशोर के पकड़े जाने की परिस्थितियां एवं उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली पुलिस की रिपोर्ट तथा बोर्ड के प्रपत्र– प्प् में जारी आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र प्ट में प्रस्तुत की गई सामाजिक अन्यवेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर सकेगा।

18. अधिनियम, धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अभिकथित उपबंधों के उल्लंघन की दशा में:

(क) बोर्ड द्वारा प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक प्रचार–माध्यमों द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लेखित उपबंधों के अनुसार आवश्यक जांच शुरू की जाएगी तथा उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे; और

(ख) जहाँ राष्ट्रीय अथवा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया है, वहां आयोग संबंधित ज़िले या राज्य के ज़िला अथवा राज्य बालक संरक्षण इकाई को यह निर्देश देते हुए सूचित करेगा कि बोर्ड के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के भाग जाने की दशा में 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगी:

(क) संस्था के प्रभारी अधिकारी उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई को किशोर अथवा बालक के विवरण सहित एक रिपोर्ट तत्काल भेजेगा, जिसके साथ उसका पहचान चिन्ह और फोटो भेजा जाएगा और रिपोर्ट की एक–एक प्रति बोर्ड, ज़िला बालक संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाएगी;

(ख) आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी गार्डों को अथवा संबंधित कर्मचारियों को किशोरों की तलाश में ऐसे स्थानों, जैसे रेल्वे स्टेशनों, बस अड्डों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा, जहां उसके जाने की संभावना हो सकती है;

(ग) माता–पिता अथवा संरक्षकों को बच्चे के ऐसे भाग जाने के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा; और

(घ) आश्रय गृह अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्था का प्रभारी अधिकारी बच्चों के भाग जाने के मामले की जांच करेगा और बोर्ड अथवा समिति और संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यह रिपोर्ट इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के खिलाफ अपराध, जो धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 में निर्दिष्ट हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के साथ–साथ या तो ज़मानती या गैर–ज़मानती होंगे और ये कार्यविधियां तदनुसार पुलिस, बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों पर लागू होंगी।

अध्याय ७

विविध

84. **विशेष किशोर पुलिस इकाई** — (1) राज्य सरकार, इन नियमों की अधिसूचना के चार मास के भीतर जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नियुक्त करेगी और इकाई में पुलिस निरीक्षक स्तर का किशोर या बालक कल्याण अधिकारी तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो वैतानिक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होगी।

(2) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा उपलब्ध कराएगी।

(3) पुलिस स्टेशन में, किशोर या बालक कल्याण अधिकारी, अधिनियम के उपबंधो के संबंध में किशोरों या बालकों के मामलों को संभालने में योग्य और उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित तथा अभिरुचि वाला व्यक्ति होगा।

(4) नामनिर्दिष्ट किशोर या बालक कल्याण अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस स्टेशनों या जिला इकाइयों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के भीतर तब तक की जाएगी जब तक प्रोन्नति का कोई अपवादिक मामला न हो और ऐसे मामलों में, अन्य पुलिस अधिकारियों को इकाई में नामनिर्दिष्ट और तैनात किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की कोई कमी न रहे।

(5) ज़िला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई ज़िला स्तर पर बालकों या किशोरों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता, उत्पीड़न तथा शोषण से विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए रखवाले के रूप में समन्वय और कार्य करेगी।

(6) इकाई, बालकों के विरुद्ध अपराधों के वयस्क अपराधकर्ताओं का संज्ञान गंभीरता से लेगी तथा यह देखेगी कि उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाय तथा विधि के उपयुक्त उपबंधो के अधीन मामला दर्ज किया जाए और इस प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय इकाई पुलिस स्टेशन की अन्य इकाइयों से संपर्क बनाए रखेगी।

(7) विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान करने के साथ–साथ बालकों के विरुद्ध हिंसा, बालक की उपेक्षा और बालक शोषण के मामलों की रिर्पोट करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों तथा ग्रामों सभाओं, निवासी कल्याण संगमों की सहायता लेगी।

(8) विशेष किशोर पुलिस इकाई इन नियमों के नियम 11(12) के अनुसार गिरफ्तारी के समय आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में, बोर्ड के समक्ष किशोर को पेश करने तक किशोर को प्रभार में लेने के लिए तथा उसे बोर्ड के समक्ष पेश करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन की सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अभिकरण के रूप में विशेषकर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से सहायता लेगी।

(9) किसी ज़िले में पुलिस अधीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रधान होगा तथा समय–समय पर इसके कामकाज का विलोकन करेगा।

(10) अधिनियम के अधीन बालकों या किशोरों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर समन्वय तथा पुलिस की भूमिका में बढ़ोतरी करने के लिए प्रत्येक राज्य में, पुलिस से एक नोडल अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक स्तर से कम का न हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(11) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जांच के बाद बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अपराध के लिए मुकदमा चलाने के अतिरिक्त सेवा से हटा दिया जाएगा।

87. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कत्त्वर्य –(1) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बोर्ड या समिति अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्त्वयों, कार्यो और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगाः

(क) व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परिवार, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्रोतों के माध्यम से किशोर (प्रपत्र–प्ट) अथवा बालक प्रपत्र–ग्प्प्) का सामाजिक अन्वेषण करना।

(ख) बोर्ड या समिति की कार्यवाही में उपस्थित रहेगा और जब कभी उपेक्षित हो, रिर्पोट प्रस्तुत करना।

(ग) किशोरों या बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करेगा तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना।

(घ) अभिविन्यास, मानीटरिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना।

(ड़) किशोर या बालक तथा प्रभारी अधिकारी के बीच सहयोग और सद्भावना स्थापित करना।

(च) किशोर या बालक के परिवार के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता करना तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना।

(छ) किशोर या बालक के साथ विचार–विमार्श करके प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन की कार्यवाही करना।

(ज) मुक्ति–पूर्व कार्यक्रम में भाग लेना तथा किशोर या बालक की सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो उनको मुक्त करने के पश्चात् भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

(झ) किशोरों के पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण को सुकर बनाने तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों से संपर्क स्थापित करना।

(ञ) किशोरों की मुक्ति के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही तथा उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना।

(ट) उनके पर्यवेक्षणाधीन किशोरों या बालकों के आवास तथा रोजगार के स्थान या ऐसे विद्यालय का, जिसमें किशोर या बालक पढ़े हैं, नियमित दौरा करना और प्रपत्र–ग्ग् में यथाविहित पाक्षिक रिर्पोट पेश करना।

(ठ) जहां कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से यथास्थिति प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति तक, किशोर या बालकों के साथ जाना; और

(ड) केस फाइल और ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव, जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

89. प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस–वर्कर, गृह पिता अथवा गृह माता तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारिवृंद की निरर्हताएं – (1) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस–वर्कर, गृह पिता या गृह माता और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारिवृंद अपने पर्यवेक्षण या स्वंय के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किशोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।

(2) किसी देखक्षाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किशोर या बालक के शारीरिक यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जांच के पश्चात् निरर्हता का पात्र बनाएगी।